



भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

निविदा आमंत्रण सूचना
(केवल ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम (इसके बाद 'बैंक' या 'आरबीआई' कहा जाएगा) **आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स, प्लामूडू में 5 फ्लैटों (FLAT NOS A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36) के विद्युत नवीनीकरण के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है।** यह एक सीमित निविदा है। जो ठेकेदार / बोलीदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नीचे दिए गए कामों की श्रेणी में ₹5 लाख से ₹10 लाख तक के कामों के लिए ठेकेदार के तौर पर सूचीबद्ध हैं, निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे इस निविदा में भाग लेने से पहले इसके लिए अपनी पात्रता के बारे में आरबीआई से पता कर लें। निविदा सेंट्रल सार्वजनिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP - <https://etenders.gov.in>) के ई-निविदा पोर्टल के ज़रिए की जाएगी ई-निविदा की सूची इस तरह है:

निविदा अनुसूची (एसओटी)

ए. ई-निविदा का नाम	आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स प्लामूडू में 5 फ्लैटों (फ्लैट संख्या ए-03, बी-12, बी-13, सी-24 और ई-36) का विद्युत नवीनीकरण
बी. ई-निविदा संख्या	2026_आरबीआई_288149_1_प्लामूडू_5फ्लैट्स_इलैक्ट्रिकल
सी. कार्य की अनुमानित लागत	₹6.65 लाख (जीएसटी सहित)
डी. निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-व्यावसायिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से (सीपीपीपी - https://etenders.gov.in)
इ. एनआईटी / निविदा की तारीख पार्टियों के लिए आरबीआई वेबसाइट / सीपीपी पर देखने के लिए उपलब्ध	19 अगस्त, 2026 को शाम 6.00 बजे से
एफ. बोली-पूर्व बैठक की तारीख (ऑफ़लाइन)	10 सितंबर, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सम्मेलन कक्ष, संपदा विभाग, दूसरी मंज़िल, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम – 695033 में।

जी. ई-निविदा शुरू होने की तिथि ऑनलाइन तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली जमा करना https://etenders.gov.in	14 सितंबर 2026 को अपराह्न 6.00 बजे
एच. तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख	25 सितंबर, 2026 को अपराह्न 3.00 बजे
आई. ई-निविदा खोलने की तारीख और समय	28 सितंबर, 2026 को अपराह्न 3.00 बजे
जे. लेनदेन शुल्क	जैसा CPPP पर लागू है।
के. निविदा की वैधता	निविदा के भाग-I के खुलने की तारीख से 90 दिन और आपसी सहमति से वैलिडिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है।

2. विक्रेता ध्यान दें कि नए CPPP पोर्टल का मार्ग <https://etenders.gov.in> है।

3. यह नोटिस सिर्फ जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और यह इस सीमित निविदा को उद्धृत करने के लिए खुला निमंत्रण नहीं है। इस निविदा में हिस्सा सिर्फ निमंत्रण से लिया जा सकता है और यह सिर्फ चुनी हुई खरीदने वाली कंपनी के सूचीबद्ध ठेकेदार तक ही सीमित है। बिना मांगे आए प्रस्ताव को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हालांकि, जो ठेकेदार भविष्य में ऐसे निविदा में भाग लेना चाहते हैं, वे प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. भविष्य में निविदा में कोई भी बदलाव / सुधार, अगर कोई हो, तो उसे सिर्फ आरबीआई वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर बताया जाएगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है और उसे अखबार में नहीं छापा जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
(केरल और लक्षद्वीप)



भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

(Website: www.rbi.org.in)

(केवल ई-टेंडरिंग/e-Tendering only)

निविदा दस्तावेज़/Tender Document

आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स प्लामूडू में 5 फ्लैटों (फ्लैट क्र. A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36) का विद्युत नवीनीकरण

Electrical Renovation of 5 Nos of Flats (FLAT NOS A-03, B-12, B-13, C-24 & E-36) at RBISQ, Plamoodu

निविदाकार का नाम/Name of the Tenderer: _____

पता/Address: _____

मोबाइल नं./Mobile no. _____

ई-मेल आईडी/E-mail ID _____

जमा करने की अंतिम तिथि/Due Date of Submission	25 सितंबर 2026 (अपराह्न 3:00 बजे तक)/ September 25, 2026 (up to 3.00 PM)
निविदा की वैधता/Validity of Tender	निविदा के भाग 1 के खुलने की तिथि से 90 दिन और आपसी सहमति के तहत वैधता का आगे विस्तार/ 90 days from the date of opening of Part 1 of the tender and further extension of validity under mutual agreement
बोली-पूर्व बैठक (ऑफ़लाइन)/Pre-Bid Meeting (Offline)	10 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे/ 11.00 am on September 10, 2026

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर प्रति, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाए। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि प्राधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी, यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए, सख्त वर्जित है और प्रतिराइट उल्लंघन माना जाएगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

This document is the property of Reserve Bank of India (RBI). It may not be copied, distributed or recorded on any medium, electronic or otherwise, without the RBI's written permission thereof, except for the purpose of responding to RBI for the said purpose. The use of the contents of this document, even by the authorized personnel / agencies for any purpose other than the purpose specified herein, is strictly prohibited and shall amount to copyright violation and thus, shall be punishable under the Indian Law.



भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA

संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

निविदा आमंत्रण सूचना
(केवल ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम (इसके बाद 'बैंक' या 'आरबीआई' कहा जाएगा) **आरबीआई स्टाफ कार्टर्स, प्लामूडू में 5 फ्लैट्स (FLAT NOS A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36) के विद्युत नवीनीकरण के लिए ई- निविदा आमंत्रित करता है।** यह एक सीमित निविदा है। सिर्फ वे ठेकेदार / बोलीदाता जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नीचे दिए गए कामों की श्रेणी में ₹5 लाख से ₹10 लाख तक के कामों के लिए ठेकेदार के तौर पर सूचीबद्ध हैं, निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे भाग लेने से पहले इस निविदा के लिए अपनी पात्रता के बारे में आरबीआई से पता कर ले। निविदा सेंट्रल सार्वजनिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP - <https://etenders.gov.in>) के ई- निविदा पोर्टल के ज़रिए की जाएगी ई- निविदा की सूची इस तरह है:

निविदा अनुसूची (एसओटी)

ए. ई- निविदा का नाम	आरबीआई स्टाफ कार्टर्स प्लामूडू में 5 फ्लैटों (फ्लैट संख्या ए-03, बी-12, बी-13, सी-24 और ई-36) का विद्युत नवीनीकरण
बी. ई-निविदा संख्या	2026_आरबीआई_288149_1_प्लामूडू_5फ्लैट्स_इलेक्ट्रिकल
सी. कार्य की अनुमानित लागत	₹6.65 लाख (जीएसटी सहित)
डी. निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-व्यावसायिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से (सीपीपी - https://etenders.gov.in)
इ. एनआईटी / निविदा की तारीख पार्टियों के लिए आरबीआई वेबसाइट / सीपीपी पर देखने के लिए उपलब्ध	19 अगस्त, 2026 को अपराह्न 6.00 बजे से
एफ. बोली-पूर्व बैठक की तारीख (ऑफ़लाइन)	10 सितंबर, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सम्मेलन कक्ष, संपदा विभाग, दूसरी मंज़िल, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम – 695033 में।
जी. ई-निविदा शुरू होने की तिथि ऑनलाइन तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली जमा करना https://etenders.gov.in	14 सितंबर, 2026 को अपराह्न 6.00 बजे
एच. तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई- निविदा बंद होने की तारीख	25 सितंबर 2026 को अपराह्न 3.00 बजे
आई. ई- निविदा खोलने की तारीख और समय	28 सितंबर 2026 को अपराह्न 3.00 बजे
जे. लेनदेन शुल्क	जैसा CPPP पर लागू है।
के. निविदा की वैधता	निविदा के भाग-I के खुलने की तारीख से 90 दिन और आपसी सहमति से वैलिडिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है।

2. विक्रेता ध्यान दें कि नए CPPP पोर्टल का मार्ग <https://etenders.gov.in> है।

3. यह नोटिस सिर्फ जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और यह इस सीमित निविदा को उद्धृत करने के लिए खुला निमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भाग लेना केवल निमंत्रण से किया जा सकता है और यह सिर्फ चुनी हुई खरीदने वाली कंपनी के सूचीबद्ध ठेकेदार तक ही सीमित है। बिना मांगे आए प्रस्ताव को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हालांकि, जो ठेकेदार भविष्य में ऐसे निविदा में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे प्रक्रिया के मुताबिक आरबीआई में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. भविष्य में निविदा में कोई भी बदलाव / सुधार, अगर कोई हो, तो उसे सिर्फ आरबीआई वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर बताया जाएगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है और उसे अखबार में नहीं छापा जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
(केरल और लक्षद्वीप)

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, तिरुवनंतपुरम ने इच्छुक पार्टियों को करार के संबंध में एक पृष्ठभूमि-परक जानकारी देने के लिए इस दस्तावेज को तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें अंतर्विष्ट जानकारी को तैयार करने में समुचित सावधानी बरती है, तथापि, इस दस्तावेज में अंतर्विष्ट या इसके बारे में दी गई किसी जानकारी की संपूर्णता या सटीकता के संबंध में न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही उसके कोई प्राधिकरण या एजेंसी या संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या परामर्शदाता कोई वारंटी देते हैं अथवा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से कोई व्यपदेशन करते हैं।

इस सूचना का अभिप्राय परिपूर्ण जानकारी देना नहीं है। इच्छुक पार्टियों के लिए ज़रूरी है कि वे स्वयं पूछताछ कर लें और उत्तरदाताओं के लिए अपेक्षित है कि वे लिखित रूप में यह पुष्टि करें कि उन्होंने ऐसा किया है और वे केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा प्रस्तुत करने हेतु दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या परामर्शदाताओं के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक करार के संबंध में आगे बढ़ने या करार के कन्फिगरेशन को बदलने, इस दस्तावेज में दर्शाई गई समय-सारणी को परिवर्तित करने या लागू प्रक्रम या प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में रुचि अभिव्यक्ति करने वाली किसी भी पार्टी पर आगे विचार न करने का अधिकार भी बैंक के पास सुरक्षित है।



भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स प्लामूडू में 5 फ्लैटों (फ्लैट संख्या ए-03, बी-12, बी-13, सी-24 और ई-36) का विद्युत नवीनीकरण

विषयसूची

क्रम संख्या	अनुभाग/ अनुबंध	विवरण	पृष्ठ सं.
भाग I			
1		ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश	8
2	खंड-मैं	निविदा का प्रारूप	9
3	खंड II	वाणिज्यिक शर्तें	11
4	खंड III	सुरक्षा कोड	15
5	खंड IV	पहले उल्लेखित शर्तें	17
6	खंड V	विशेष शर्तें	29
7	खंड VI	विद्युत काम के लिए तकनीकी विनिर्देश	30
8	धारा VII	संदर्भित परिशिष्ट	36
9	धारा VIII	जांच सूची	37
10	धारा IX	स्वीकृत मेक की सूची	38
11	खंड X	करार की शर्तें	39
12	धारा XI	निषेध के संबंध में वचन	44
13	धारा XII	बिना मूल्यांकित मात्रा का बिल	45
		अनुबंध	
14	अनुबंध - ए	काम को समझने के लिए निविदा देने वाले के साइट विज़िट के बारे में	48
15	अनुबंध - बी	श्रम संहिता/ नियमन का पालन न करने पर नियोक्ताको हर्जाना देने के लिए प्रोफ़ॉर्मा	49
16	अनुबंध - सी	विचलन की अनुसूची	50
संदर्भ के लिए भाग II			
17	प्रारूप - I	मूल्य बोली	51



भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स प्लामूडू में 5 फ्लैटों (फ्लैट क्र. A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36) का विद्युत नवीनीकरण

ई-निविदा संख्या: 2026_आरबीआई_288149_1_प्लामूडू_5फ्लैट्स_इलैक्ट्रिकल

भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) / Part I (Techno-Commercial Bid)

बोली-पूर्व बैठक की तारीख की तारीख और समय	10 सितंबर, 2026 को सुबह 11.00 बजे ऑफ़लाइन
तकनीकी-व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई- निविदा बंद होने की तारीख	25 सितंबर, 2026 को अपराह्न 3.00 बजे
भाग-I खुलने की तिथि और समय (यानी, तकनीकी-व्यावसायिक बोली):	28 सितंबर, 2026 को अपराह्न 3.00 बजे

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

ठेकेदारों से अनुमोदन है कि अपनी ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इस निविदा के शर्तों और नियम पढ़ लें।

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता / ठेकेदार सेंट्रल सार्वजनिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) है। <https://etenders.gov.in/eprocure/app>

ई-निविदा का प्रोसेस: बोलीदाता मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

- A) नए बोलीदाता के लिए पंजीकरण : इस प्रक्रिया में सीपीपी पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो फ्री है। <https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page>
किसी भी तकनीकी जानकारी के लिए 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें
0120-4001 002
0120-4001 005
0120- 4493395

ई - मेल समर्थन:

प्रकाशित हुए निविदा से जुड़े किसी भी मुद्दे या स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाताओं से अनुमोदन है कि वे संबंधित निविदा निमंत्रित करने वाले प्राधिकारी से संपर्क करें।

तकनीकी - support-eproc@nic.in

नीति संबंधी - cpdp-doe@nic.in

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई – केवल कार्यालय समय के दौरान):

सीनियर	नाम	ईमेल आईडी	संपर्क नंबर।
1)	श्रीमती ऐश्वर्या सुब्रमण्यम, सहायक महाप्रबंधक	asubramanian1@rbi.org.in ; estatethiro@rbi.org.in	फ़ोन: 0471 2783030
2)	श्री रामकृष्ण एस टी (प्रबंधक- विद्युत)	ramakrishnast@rbi.org.in	080-2218 0260
3)	श्री प्रसाद चोरगे, सहायक प्रबंधक	prasadchorage@rbi.org.in ;	फ़ोन: 0471 2783052

खंड - I

निविदा का प्रारूप

स्थान.....
तारीख.....

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
बेकरी जंक्शन
तिरुवनंतपुरम - 695 033

महोदय,

यहाँ इसके बाद निर्दिष्ट ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों के संबंध में विशेष विवरण, अभिकल्पना और मात्रा - अनुसूची की जाँच करने के पश्चात् और उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों के स्थान को देखने और उसकी जाँच करने के बाद तथा निविदा को प्रभावित करने वाली अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, हम इसके द्वारा ऐसी सभी शर्तों के अनुरूप जो जिस रूप में लागू होगी, उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों को समय-ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न मात्रा - अनुसूची में उल्लिखित दरों पर तथा हर प्रकार से विनिर्देशों, अभिकल्पनाओं, रेखाचित्रों और निविदा की शर्तों में दिये गये लिखित अनुदेशों, "करार की शर्तों", विशेष शर्तों, मात्रा - अनुसूची और संविदा की शर्तों और उसके लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री के साथ सप्लाई और कार्य का निष्पादन करने का प्रस्ताव करते हैं।

ज्ञापन

(ए)	कार्यों का विवरण	:	आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स प्लामूडू में 5 फ्लैटों (फ्लैट क्र. A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36) का विद्युत नवीनीकरण
(बी)	अनुमानित लागत	:	₹6.65 लाख (जीएसटी सहित)
(सी)	बिलों से काटे जाने वाले प्रतिशत	:	प्रतिधारित राशि जमा के लिए 5%
(डी)	कार्य आदेश की तारीख से काम पूरा करने के लिए दिया गया समय	:	कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10 वें दिन से 4 महीने में

- अगर यह निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम इसके साथ दी गई अनुबंध की शर्तों और नियमों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहाँ तक वे लागू हों, या उनका पालन न करने पर, शर्तों में बताई गई रकम ज़ब्त करके भारतीय रिज़र्व बैंक को दे देंगे।
- अगर यह निविदा स्वीकार हो जाता है, तो हम निविदा के सभी शर्तों और नियम को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम निविदा में दी गई शर्तों में बताई गई रकम को ज़ब्त करके आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनी या नॉमिनी को दे देंगे, साथ ही अनुबंध की लिखित स्वीकृति भी देंगे।
- हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को पूरी तरह या कुछ हिस्से में स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं।
- निविदा दो हिस्सों में जमा किया जाता है। भाग I में सभी तकनीकी शर्तों और नियमों और तकनीकी जानकारी हैं और भाग II में सिर्फ बैंक के प्रोफ़ॉर्म में मूल्य बोली है।

तारीख 2026 के ____ दिन है।

मेसर्स _____ के लिए एवं उनकी ओर से

(हस्ताक्षर मुहर सहित)

नाम _____
पद का नाम _____
स्थान _____
तारीख _____

(ऊपर बताए गए साइन करने वाले के मुख्तारनामा की प्रमाणित मूल प्रति साथ में लगानी होगी)।

गवाहों

(1) हस्ताक्षर के साथ _____
नाम, पता और दिनांक _____

(2) हस्ताक्षर के साथ _____
नाम, पता और दिनांक _____

खंड II

संपदा विभाग तिरुवनंतपुरम

भाग I - वाणिज्यिक शर्तें

1. पंजीकृत ठेकेदारों की सूची में शामिल विद्युत ठेकेदारों से ई-निविदा मंगाया जाता है, जिसमें आरबीआई स्टाफ कार्टर्स, प्लामूड में 5 फ्लैट्स (FLAT NOS A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36) का विद्युत नवीनीकरण शामिल है। CPP पोर्टल पर निविदा अपलोड करने की आखिरी तारीख **25 सितंबर, 2026 को अपराह्न 3.00 बजे है।**
2. निविदा दो हिस्सों में जमा किए जाएंगे, भाग I में ऑफर की तकनीकी और व्यावसायिक जानकारी होगी और भाग II में सिर्फ कीमतें होंगी। निविदा के भाग I (टेक्नो-व्यावसायिक बोलियाँ) के पेज, जहां जानकारी भरकर साइन करने होंगे, उन्हें CPP पोर्टल से डाउनलोड किया जाएगा, जानकारी भरकर साइन किए जाएंगे और अपलोड किए जाएंगे। बोलीदाता तय तारीख और समय पर बैंक के मेन कार्यालय में निविदा ओपनिंग इवेंट के लिए आ सकते हैं। वेंडर्स को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 'संलग्नडॉक्यूमेंट' बटन इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। एक से ज्यादा दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। जबकि भाग-II **28 सितंबर, 2026 को अपराह्न 3.00 बजे** खोला जाएगा और भाग II उसी दिन खोले जाएंगे, अगर किसी ठेकेदार ने कोई बदलाव नहीं दिखाया है या किसी बाद की तारीख को, जिसकी जानकारी निविदा देने वालों को पहले से दे दी जाएगी।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदा को, पूरे या कुछ हिस्से में, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। बैंक किसी भी फर्म का निविदा स्वीकार करने का भी अधिकार रखता है। निविदा देने वालों से अनुरोध है कि वे यूनिट रेट और रकम अलग-अलग बताएं। उनसे यह भी अनुरोध है कि केवल इसके साथ संलग्न प्रोफ़ार्मा का ही उपयोग करें (और अपना खुद का फ़ॉर्मेट उपयोग न करें)।
4. **निविदा के भाग I** के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए वैध होंगे।
5. दिए गए रेट में सभी टैक्स, ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, फॉरवर्डिंग, बीमा वगैरह शामिल होंगे और ये साइट पर ठीक से पूरे किए गए और कमीशन किए गए पूरे काम के लिए होंगे। दिए गए प्राइस संविदा के पूरे समय के लिए एक जैसे रहेंगे और इन पर फॉरेन एक्सचेंज या किसी दूसरे टैक्स, लेवी, ड्यूटी वगैरह में कोई बदलाव नहीं होगा। दिए गए रेट एक जैसे होंगे और संविदा पूरा होने तक बिना किसी बढ़ोतरी के लागू रहेंगे।
6. काम के दायरे में बताया गया पूरा काम, कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10वें दिन से 4 महीने के अंदर पूरा करना होगा।
7. **दोष जिम्मेदारी अवधि:** पूरा काम लगभग पूरा होने की तारीख से एक साल के समय के लिए सभी तरह के डिफेक्ट्स के खिलाफ गारंटी के साथ होगा। जिम्मेदारी अवधि के अंदर काम/मटीरियल/सब-असेंबली में पाए जाने वाले किसी भी दोष को निविदाकर्ता को बैंक को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के ठीक करना/बदलना होगा।
8. **भुगतान की शर्तें :** भुगतान की ये शर्तें, कानूनी कटौतियों के तहत, संविदा पर लागू होंगी:
 - (a) पूरा काम पूरा होने पर टेस्टिंग, कमीशनिंग और पूरा काम बैंक को सौंपने के बदले काम की कीमत का 95%।
 - (b) एक साल का दोष जिम्मेदारी अवधि ठीक से पूरा होने के बाद काम की कीमत का 5% रिटेंशन मनी जारी किया जाएगा।
9. काम का भुगतान उसी कार्यालय से किया जाएगा जहां काम पूरा होकर सौंपा गया है। इस संविदा से होने वाले झगड़े का निपटारा भी उसी राज्य की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में होगा जहां यह प्रणाली लगाई गई है।

10. ठेकेदार को निविदा के साथ काम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की सभी तकनीकी जानकारी/विशेष विवरणमें कोई भी बदलाव जमा करना होगा। अगर वे कोई और जानकारी/जानकारी जमा करना चाहते हैं, तो वे उसे निविदा के भाग I के साथ एक अलग शीट पर एनेक्सर E में दिए गए फॉर्म में दे सकते हैं।
11. निविदा देने वालों से रिक्स्ट है कि वे संविदा के शर्तों और नियमके साथ दिया गया प्रोफॉर्म भरें। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सिर्फ "YES" या "NO" बताकर पुष्टि करें कि वे बैंक के शर्तों और नियम से सहमत हैं या नहीं। अगर "NO" है, तो ही वे अपने बताए गए डेविशन को सही कॉलम में सूची करेंगे।
12. **गैर प्रकटीकरण धारा:** ठेकेदार सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/ प्रणाली /उपकरण वगैरह की कोई भी जानकारी, सामग्री और जानकारी, जो इस करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और उसे हर समय पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। ठेकेदार संविदा की जानकारी को नीजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि यह उसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। ठेकेदार नियोक्ता की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या तकनीकी पेपर या कहीं और काम की कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित होने नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरणके कारण नियोक्ताको हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ताको नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।
13. a) ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के कैंपस में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल शिकायत समिति के सामने फाइल की जाएगी और ठेकेदार शिकायत के संबंध में उस कानून के तहत सही कार्रवाई पक्का करेगा।
 b) सर्विस प्रोवाइडर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ से बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी दूसरी फर्म के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी ध्यान देगी।
 c) अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो ठेकेदार को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या दूसरी फर्म के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।
 d) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की स्थान पर यौन उत्पीड़न से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
 e) ठेकेदार को बैंक की स्थान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यावत सूचीदेनी होगी।
14. **कोटेशन जमा करने से पहले, फर्म को साइट पर जाना चाहिए और साइट की स्थिति के बारे में जान लेना चाहिए।**
15. ठेकेदार को काम शुरू करने से पहले बैंक की मंजूरी के लिए काम में इस्तेमाल होने वाले सामग्रीके सैंपल दिखाने होंगे।
16. **यह काम सिविल काम के साथ समन्वय में किया जाएगा। काम को आसानी से आगे बढ़ाने के लिए ठेकेदार को काम शुरू करने से पहले एक विस्तृत काम अनुसूची जमा करना होगा।**
17. निविदा पर सिर्फ उन ठेकेदार की सूची से ही विचार किया जाएगा जिन्हें बैंक ने संबंधित ट्रेड में पैनल में शामिल किया है।

18. ठेकेदार को काम शुरू करने या पूरा करने में देरी की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा, चाहे देरी की वजह कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए काम में बदलाव या उससे जुड़े किसी सब-संविदा में देरी या प्रोजेक्ट के दूसरे कामों के लिए संविदा देने में देरी या ऐसे कामों को शुरू या पूरा करने में देरी या सरकारी कंट्रोल वाला या दूसरा बिल्टिंग सामग्री खरीदने में देरी या कंस्ट्रक्शन के मकसद से पानी और बिजली के कनेक्शन लेने में देरी या कोई भी दूसरी वजह शामिल है और नियोक्ता इस बारे में किसी भी दावे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। नियोक्ता निविदा की रकम के अलावा किसी भी रकम के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें बताए गए बदलाव हों।
19. **व्यक्ति और संपत्ति को हुए क्षति के लिए बीमा :** ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोट या क्षति के लिए ज़िम्मेदार होगा और संपत्ति को होने वाले सभी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा जो ठेकेदार या किसी भी उप- ठेकेदार या किसी नामित उप- ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की ओर से किसी भी कारक की चूक से उत्पन्न हो सकता है। इस खंड के तहत देयता में, अन्य बातों के साथ-साथ संरचनाओं को किसी भी नुकसान को भी कवर किया जाएगा, चाहे वह कार्यों से तुरंत सटा हो या अन्यथा; सड़कों, फुटपाथों, पुलों के साथ-साथ इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले क्षति को इस संविदा का विषय वस्तु बनाते हैं। बारिश, हवा, ठंड या मौसम की अन्य अशांति के कारण इस संविदा के विषय को बनाने वाले भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले किसी भी क्षति के लिए ठेकेदार भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार नियोक्ता को और उसे किसी भी तरह की चोट या व्यक्तियों या संपत्ति को क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और खर्चों के संबंध में हानि रहित ठहराएगा और चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ, चाहे वह किसी भी क़ानून के तहत हो या अन्यथा और इस तरह के दावों के परिणामस्वरूप किसी भी पुरस्कार या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करेगा।
20. ठेकेदार इस धारा में बताए गए हर तरह के क्षति की भरपाई करेगा, ताकि संविदा का पूरा काम हर तरह से पूरा और सही तरीके से पूरा हो सके और थर्ड पार्टी की संपत्ति को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई हो सके या उन्हें पूरा किया जा सके। ठेकेदार को **अन्य पक्ष देयता को** कवर करने वाली एक बीमा पॉलिसी लेनी होगी ताकि इंसान की जान (जो ठेकेदार से जुड़े नहीं हैं) को होने वाले नुकसान/विकलांगता को कवर किया जा सके। इसमें साइट पर संविदा के काम के कंस्ट्रक्शन/इरेक्शन/कमीशनिंग के दौरान दूसरों के सामान/उपकरण/संपत्ति को होने वाले नुकसान का रिस्क भी कवर होगा, जिसमें अगर कोई बैंक हो, तो वह भी शामिल है। इंसान की जान के नुकसान या पूरी/आंशिक विकलांगता के लिए मुआवज़े के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी की मूल्य, पूरी और आंशिक विकलांगता के लिए ज़रूरी कानूनी मूल्य होगी और फिर भी इसमें कोर्ट द्वारा दिए गए मुआवज़े को कवर किया जाएगा। दूसरों के उपकरण/संपत्ति को हुए नुकसान का कवर बैंक द्वारा मंज़ूर किया गया होगा। ठेकेदार के सब-ठेकेदार पॉलिसी में धारक या लाभार्थी नहीं होंगे और न ही उनका नाम पॉलिसी में होगा। बैंक ठेकेदार के साथ पॉलिसी का मुख्य धारक होगा। पॉलिसी असाइन करने का विशेष अधिकार बैंक के पास है।

ठेकेदार, नियोक्ता को उन सभी दावों से बचाएगा जो नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं, चाहे वह आम आदमी हो या कोई और अन्य पार्टी, काम के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप में होने वाली किसी भी कार्य के लिए। और अपने खर्च पर, संविदा के लगभग पूरा होने तक, एक स्वीकृत कार्यालय में नियोक्ता और ठेकेदार के जॉइंट नाम से ऐसे रिस्क के लिए एक बीमा पॉलिसी लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और इस संविदा के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा। ठेकेदार भी इसी तरह, नियोक्ता को उन सभी दावों से बचाएगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वह वर्कमैन्स मुआवज़ा कानून के तहत हो या इस संविदा के चलने के दौरान लागू किसी और स्टेटस के तहत हो या ठेकेदार के किसी कर्मचारी या किसी सब-ठेकेदार के संबंध में कॉमन लॉ के तहत हो। और अपने खर्च पर, नियोक्ता और ठेकेदार के जॉइंट नाम से ऐसे रिस्क के लिए लागू करेगा और बनाए रखेगा और संविदा के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा।

ठेकेदार ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसियों से होने वाली किसी भी देयताओं के लिए ज़िम्मेदार होगा और इस संविदा के ट्रांज़िट, स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी को लापरवाही से या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को होने वाले सभी दूसरे नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। वह किसी भी दावाया कार्रवाई से होने वाले किसी भी खर्च, चार्ज या लागत के लिए नियोक्ताको हर्जाना भी देगा और उससे होने वाले किसी भी मुआवज़े या नुकसान के लिए भी हर्जाना देगा।

नियोक्ताको किसी भी क्षति, मुआवज़े, लागत, चार्ज और खर्च की राशि को, जो ऐसे किसी भी दावे या क्षति से या उसके संबंध में हो, ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी या सभी राशि में, बिना नियोक्ता के दूसरे अधिकारों पर कोई प्रभाव डाले, से काटने का अधिकार होगा। ठेकेदार **अपने खर्च पर, एक मंजूर कार्यालय से (संविदा के लगभग पूरा होने तक) नियोक्ता और अपने जॉइंट नाम से नीचे दी गई बीमा पॉलिसी को लागू करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा, जिसमें नियोक्ता प्रथम (मुख्य) होगा और ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को इस संविदा के लागू रहने के दौरान तक नियोक्ता के पास जमा करेगा।**

1. संविदा की कुल रकम के लिए स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी।
2. वर्कमैन कम्पेनसेशन पॉलिसी।
3. थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी, जिसकी सीमा नीचे दी गई है।
 - a. अनुबंध अवधि के लिए 10,00,000/- रुपये
 - b. प्रति घटना 2,00,000/- रुपये

ठेकेदार, काम शुरू होने की तारीख से, अपने खर्च पर काम का बीमा कराएगा और काम के लगभग पूरा होने तक, **नियोक्ता(RBI) और ठेकेदार (RBI का नाम पॉलिसी में पहले रखा जाएगा) के जॉइंट नाम से एक कार्यालय में अग्निसे होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ संविदा की पूरी रकम के लिए बीमा रखेगा। ठेकेदार काम शुरू होने से पहले पॉलिसी और प्रीमियम की रसीदें नियोक्ता के पास जमा करेगा।** अगर ठेकेदार ऊपर बताए गए तरीके से बीमा नहीं करता है, तो नियोक्ताकाम का बीमा कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी राशि से काट सकता है, बिना इस तरह की गलती के संबंध में नियोक्ताके दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले। अगर काम को रोकना ज़रूरी हो जाता है, तो ठेकेदार जैसे ही पॉलिसी के तहत दावासेटल हो जाता है, या बीमा कार्यालय द्वारा काम फिर से शुरू कर दिया जाता है, अगर वे ऐसा करना चुनते हैं, तो काम को उसी तरह पूरा करने के लिए पूरी सावधानी बरतें जैसे अग्निसे नहीं लगी हो और सभी मामलों में संविदा की उन्हीं शर्तों के तहत। अग्निलगने के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए जितना सही लगे, उतना समय बढ़ाने का हक होगा।

बीमा का समय काम के पूरे समय के लिए वैधहोना चाहिए और अगर ठेकेदार की वजह से किसी भी वजह से काम में देरी होती है, तो पॉलिसी को ठेकेदार को अपने खर्च पर बढ़ाना होगा। अगर ठेकेदार देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, तब भी पॉलिसी को ठेकेदार को बढ़ाना होगा, लेकिन इसका खर्च बैंक उठाएगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर _____

फर्म का नाम _____

फर्म का स्टाम्प _____

तारीख:

खंड III

सुरक्षा कोड

1. फर्स्ट एड के सामान, जिसमें स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई शामिल है, आसानी से मिलने वाली स्थान पर दिए जाएंगे।
2. अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।
3. जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए काम करने वालों को सही और मज़बूत मंचान दिए जाने चाहिए।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के अंदर नहीं रखा जाएगा, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।
6. किसी बिल्डिंग के फ़र्श या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर खुली स्थान पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही फेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी; कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।
7. किसी भी फ़र्श, छत या स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से पर इतना ज़्यादा मलबा या सामान नहीं होना चाहिए कि वह अनसेफ हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार जैसे सामग्री को मिलाने और संभालने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव फुटवियर और रबर हैंड-ग्लव्स दिए जाएंगे।
9. वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई-शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे।
10. i) लेड या लेड उत्पाद वाले किसी भी पेंट का इस्तेमाल पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा।
ii) जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर हटाया जाता है, तो काम करने वालों के इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाएंगे।
11. पेंटर्स को ओवरऑल्स ठेकेदार द्वारा दिए जाएंगे और काम बंद होने के दौरान पेंटर्स को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी।
12. काम में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और सामान, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होने चाहिए।
13. ऊपर उठाने या नीचे करने वाले सामान, या सस्पेंशन के साधन में इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की और सही मज़बूत होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।
14. ठेकेदार को कानूनी नियमों के अनुसार काम करने के लिए वर्कर्स को सभी सेफ्टी गैजेट्स देने होंगे।
15. काम करते समय ज़रूरी फायर सेफ्टी उपाय भी किए जाएंगे।

अग्नि सुरक्षा

- i. कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और बिजली से चलने वाले दूसरे उपकरण को सही रेटिंग वाले विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।
- ii. सिर्फ ISI मार्क वाले 3 पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और उपकरण ही इस्तेमाल किए जाएंगे।
- iii. इस्तेमाल होने वाले विद्युत पावर केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उनकी रेटिंग सही होनी चाहिए।
- iv. सभी बिजली के उपकरण जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन वगैरह को काम करते समय लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थिंग किया जाना चाहिए।
- v. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को बताया जाएगा और फायर कार्यालय/पर्सनल के साइट निरीक्षण के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।
- vi. साइट पर आसानी से पहुंचने वाली स्थान पर पानी और रेत की दो बाल्टियां रखी जाएंगी।
- vii. फायर कार्यालय द्वारा बताए गए और जारी किए गए फायर एक्सटिंग्विशर साइट पर रखे जाएंगे।
- viii. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही बताए गए स्टोर में स्टोर किया जाना चाहिए।
- ix. काम की ज़रूरत के हिसाब से, ठेकेदार काम करने वालों को काम से होने वाले हेल्थ खतरों से बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव उपकरण जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह देगा।
- x. सेफ्टी बेल्ट ठेकेदार देगा और काम करने वाले ग्राउंड लेवल से 10' से ज़्यादा ऊंचाई पर काम करते समय इसका इस्तेमाल करेंगे।
- xi. लिफ्ट, लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी रास्ते का इस्तेमाल किसी भी तरह का सामान/कचरा जमा करने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
- xii. सीढ़ियों के दोनों दरवाज़े आम तौर पर बंद रखे जाएंगे।
- xiii. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी तय स्थान से हटाया/शिफ्ट नहीं किया जाएगा।
- xiv. जब उपकरण इस्तेमाल में न हो, तो मेन से पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
- xv. काम से निकलने वाली लकड़ी की छीलन और बुरादा रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय स्थान पर स्टोर किया जाएगा।
- xvi. काम से निकलने वाले किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय स्थान पर स्टोर किया जाएगा।
- xvii. कार्यालय के समय के बाद काम करते समय ठेकेदार को काम करने वालों को बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट/टॉर्च देनी होगी।

स्थान: ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

खंड IV
यहां पहले उल्लिखित शर्तें

1. इन शर्तों, स्पेसिफिकेशन, मात्राओं के शेड्यूल और संविदा करार को बनाते समय, नीचे दिए गए शब्दों का वही मतलब होगा जो उन्हें यहां दिया गया है, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ के हिसाब से कुछ और ज़रूरी हो।

- क) "नियोक्ता" इसका मतलब होगा भारतीय रिज़र्व बैंक और इसमें उसके असाइनी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
- ब) कंपनी के मामले में "ठेकेदार का मतलब _____ से होगा, जो _____ के तहत शामिल कंपनी है और जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय _____ में है और इसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल होंगे।
- स) "साइट" इसका मतलब संविदा के काम की साइट से है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग और उस पर बनाया गया सामान और कोई भी दूसरी ज़मीन (इसमें शामिल है) जो नियोक्ताने ठेकेदार के इस्तेमाल के लिए दी है।
- द) "यह संविदा" इसका मतलब होगा करार का आर्टिकल, खास शर्तें, शर्तें, अपेंडिक्स, मात्राओं का शेड्यूल और इसके साथ जुड़े और सही तरह से साइन किए गए स्पेसिफिकेशन।
- ई) "लिखित सूचना" इसका मतलब है लिखा हुआ, टाइप किया हुआ या प्रिंट किया हुआ या "लिखा हुआ नोटिस" जो (जब तक कि खुद डिलीवर न किया गया हो, वरना यह साबित हो गया हो कि वह मिल गया है) रजिस्टर्ड पोस्ट से पता पाने वाले के आखिरी जाने-पहचाने नीजी या बिज़नेस पते या रजिस्टर्ड कार्यालय पर भेजा गया हो और उसे तब मिला हुआ माना जाएगा जब आम तौर पर पोस्ट के ज़रिए उसे डिलीवर किया जाता।
- च) "दिवालियापन अधिनियम" इसका मतलब प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी कानून, या प्रोविंशियल इन्सॉल्वेंसी कानून या ऐसे ओरिजिनल कानून में बदलाव करने वाले किसी कानून के तहत बताए गए किसी भी इन्सॉल्वेंसी कानून से होगा।
- छ) "शुद्ध मूल्य" अगर संविदा की रकम तय करने में ठेकेदार ने निविदा में मौजूद चीज़ों के कुल योग में कोई रकम जोड़ी या घटाई है, चाहे वह परसेंटेज के तौर पर हो या किसी और तरह से, तो उनके निविदा में किसी भी चीज़ की नेट कीमत, निविदा में उस चीज़ की कीमत के तौर पर दिखाई देने वाले असली आंकड़ों में उसी तरह का परसेंटेज या उसी हिसाब से रकम जोड़कर या घटाकर तय की गई रकम होगी। बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा इस तरह जोड़ी या घटाई गई रकम का परसेंटेज या हिस्सा तय करते समय, किसी भी प्राइम कॉस्ट आइटम की कुल रकम और प्रोविजनल रकम को निविदा की कुल रकम में से घटाया जाएगा। "नेट रेट्स" या "नेट प्राइसेस" शब्द का इस्तेमाल संविदा या खाता के बारे में करने पर, इसका मतलब इस तरह तय की गई रेट्स या कीमतें ही माना जाएगा।
- ह) "काम" इसका तात्पर्य आरबीआईएसक्यू प्लामूडू में 5 फ्लैटों (फ्लैट संख्या ए-03, बी-12, बी-13, सी-24 और ई-36) के विद्युत नवीनीकरण से है।

2. **संविदा का दायरा** : ठेकेदार इस संविदा के हिसाब से और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों और उनकी संतुष्टि के हिसाब से हर तरह से काम करेगा और पूरा करेगा। बैंक का इंजीनियर अपनी मर्जी से और समय-समय पर आगे की ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, जानकारी, निर्देश और एक्सप्लेनेशन जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से एक साथ "बैंक के इंजीनियर के निर्देश" कहा जाएगा:

- a) किसी काम के डिज़ाइन, कालिटी या काम में बदलाव या बदलाव या किसी काम को जोड़ना, हटाना या बदलना।
- b) ड्राइंग में या मात्राके शेड्यूल और/या ड्राइंग और/या विशेषताएँ के बीच कोई भी अंतर।
- c) ठेकेदार द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को साइट से हटाना और उसकी स्थान कोई दूसरा सामान रखना।
- d) ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी काम को हटाना और/या दोबारा करना।
- e) वहां काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को काम से निकालना।
- f) किसी भी छिपे हुए काम के निरीक्षणके लिए रास्ता खुलना।
- g) इसके धारा20 के तहत किसी भी कमी को ठीक करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार को बैंक इंजीनियर के निर्देशों में शामिल किसी भी काम को तुरंत मानना होगा और उसे ठीक से पूरा करना होगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को काम के बारे में दिए गए बोलकर दिए गए निर्देश, डायरेक्शन और एक्सप्लेनेशन, अगर उनमें कोई बदलाव होता है, तो ठेकेदार को सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फर्म करना होगा, इन्हें संविदा के दायरे में नियोक्ताके निर्देश माना जाएगा।

ठेकेदार को एक स्टेटमेंट ऑफ़ वेरिफ़ेशन जमा करना होगा जिसमें मात्रा और रेट्स दिए गए हों, और साथ में रेट्स, वाउचर्स वगैरह का एनालिसिस भी हो। नियोक्ताद्वारा स्कूटनी और फ़ाइनल मंजूरी के बाद रेट्स एक सप्लीमेंट्री निविदा बनेंगे। नियोक्ताइन वेरिफ़ेन्स के भुगतान के लिए तब तक ज़िम्मेदार नहीं होगा जब तक कि वह इन स्टेटमेंट्स को मंजूरी नहीं दे देता।

3. संविदा तीन प्रति में पूरा किया जाएगा और बैंक के इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार को अपने इस्तेमाल के लिए एक-एक प्रति मिलेगी। ठेकेदार काम करने के लिए साइट का लाइन डायग्राम और ले-आउट प्लान तैयार करेगा। ठेकेदार को फ़ाइनल प्रमाणपत्रजारी करने से पहले, उसे बैंक के इंजीनियर को सभी ड्राइंग और विशेष विवरणजमा करने होंगे।
4. ठेकेदार अपने खर्च पर काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें देगा, जो ड्राइंग्स, शेड्यूल ऑफ़ मात्राओं और विशेषताएँ के इरादे और मतलब के हिसाब से होंगी, चाहे वे उनमें खास तौर पर दिखाए या बताए गए हों या नहीं, बशर्ते कि उनसे सही अंदाज़ा लगाया जा सके, और अगर ठेकेदार को ड्राइंग्स में या ड्राइंग्स, शेड्यूल ऑफ़ मात्राओं और विशेषताएँ के बीच कोई फ़र्क मिलता है, तो वह तुरंत और लिखकर बैंक के इंजीनियर को बताएगा, जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए।
5. **प्राधिकार , नोटिस और पेटेंट** : ठेकेदार को काम से जुड़े लेजिस्लेचर के किसी भी कानून के प्रावधान, और किसी भी प्राधिकार , और किसी भी पानी, बिजली सप्लाई और दूसरी कंपनियों और/या प्राधिकार के नियमन और बाय-लॉज़ का पालन करना होगा, जिनके प्रणालीसे स्ट्रक्चर को जोड़ने का प्रयोजन है, और ड्राइंग या विशेषताएँ में कोई भी बदलाव करने से पहले, जो ऐसा करने की वजह से ज़रूरी हो सकता है, आर्किटेक्ट को लिखित नोटिस देगा, जिसमें किए जाने वाले बदलाव और उसे करने की वजह बताई जाएगी और उस पर इंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करेगा। अगर ठेकेदार को दस दिन के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, तो वह संबंधित प्रावधान, नियमन या बाय-लॉज़ के अनुसार काम करेगा, और इस तरह ज़रूरी किसी भी बदलाव से धारा17 के तहत निपटा जाएगा।

ठेकेदार को नियोक्ताको उन सभी नोटिस की जानकारी देनी होगी जो किसी भी प्राधिकार को दिए जाने वाले कानून, नियमन या बाय-लॉ के तहत ज़रूरी हैं और उस प्राधिकार या किसी सार्वजनिककार्यालय को काम के संबंध में लगने वाली सभी फीस देनी होगी और रसीदें नियोक्ताके पास जमा करनी होंगी।

ठेकेदार, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ नियोक्ताको हर्जाना देगा, और ऐसे दावों से होने वाले सभी एक्शन का बचाव करेगा और खुद सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, डैमेज कॉस्ट और सभी तरह के चार्ज का भुगतान करेगा जो कानूनी तौर पर इसके संबंध में लग सकते हैं।

6. **काम शुरू करना :** ठेकेदार काम शुरू करेगा और उसे सही और परफेक्ट तरीके से करने और उसके सभी हिस्सों के लेवल, साइज़ और अलाइनमेंट की सही स्थिति के लिए ज़िम्मेदार होगा। अगर काम के दौरान या काम पूरा होने के एक साल के अंदर इस बारे में कोई गलती दिखती है, तो ठेकेदार, अगर ज़रूरी हो, तो बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए अपने खर्च पर उस गलती को ठीक करेगा।
7. **मटेरियल और कारीगरी जानकारी के मुताबिक होनी चाहिए :** सभी मटेरियल और कारीगरी, जहाँ तक मिल सके, मात्राके शेड्यूल और/या विशेषताएँ में बताए गए अपने-अपने टाइप की होनी चाहिए और संविदा के हिसाब से होनी चाहिए और ठेकेदार नियोक्ताको सभी इनवाइस, खाता, रसीदें और दूसरे वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि मटेरियल उसके मुताबिक हैं। ठेकेदार अपने खर्च पर किसी भी मटेरियल का टेस्ट करवाएगा और/या करवाएगा।
8. **काम पर ठेकेदार का सुपरिटेण्डेंस और प्रतिनिधि:** ठेकेदार काम के दौरान और उसके बाद जब तक नियोक्ताज़रूरी समझे, तब तक सभी ज़रूरी पर्सनल सुपरिटेण्डेंस देगा, जब तक कि अपेंडिक्स में बताया गया "दोष ज़िम्मेदारी अवधि" खत्म न हो जाए। ठेकेदार, **काम चलने के पूरे समय के दौरान एक काबिल रिप्रेजेंटेटिव को भी रखेगा जो काम पर लगातार मौजूद रहेगा जब तक लोग काम कर रहे हों।** बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को दिए गए कोई भी डायरेक्शन, एक्सप्लेनेशन, इंस्ट्रक्शन या नोटिस ठेकेदार को दिए गए माने जाएंगे।
9. **काम करने वालों को निकालना :** ठेकेदार, बैंक के इंजीनियर के कहने पर, काम पर रखे गए ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत काम से निकाल देगा जो बैंक के इंजीनियर की राय में नाकाबिल हो या जिसने खुद गलत काम किया हो और ऐसे लोगों को बैंक के इंजीनियर की इजाज़त के बिना काम पर दोबारा नहीं रखा जाएगा।
10. **काम पर जाने की इजाज़त :** नियोक्ताको हर सही समय पर काम और/या वर्कशॉप, फैक्ट्री या दूसरी जगहों पर जाने की आज़ादी होगी, जहाँ सामान रखा है या जहाँ से उसे लिया जा रहा है और ठेकेदार नियोक्ताको सामान और काम के इंस्पेक्शन, जाँच और टेस्ट के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा। सार्वजनिकप्राधिकार के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ताद्वारा अधिकृतन किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय काम पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
11. **बैंक इंजीनियर :** बैंक इंजीनियर का मतलब है वह व्यक्ति जिसे नियोक्ताकाम की जांच करने के लिए अपॉइंट करता है और पैसे देता है। ठेकेदार बैंक इंजीनियर को काम और सामग्रीकी जांच करने और समय और सामग्रीकी जांच करने और मापने के लिए हर सुविधा और मदद देगा। बैंक इंजीनियर, या नियोक्ताके पास ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी काम या सामग्रीको मंजूरी न मिलने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसे काम को रोक दिया जाएगा या ऐसे सामग्रीका इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। काम की जांच समय-समय पर असिस्टेंट मैनेजर (टेक्नोलॉजी)/मैनेजर (टेक्नोलॉजी) करेंगे, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को काम के किसी स्टेज पर या काम पूरा होने के बाद पाई जाने वाली किसी भी कमी को ठीक करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी। इस धाराकी सीमाओं के तहत ठेकेदार सिर्फ बैंक इंजीनियर से ही निर्देश लेगा।
12. **असाइनमेंट और सबलेटिंग :** संविदा में शामिल पूरा काम ठेकेदार द्वारा किया जाएगा और ठेकेदार, नियोक्ताकी पहले से लिखी हुई मंजूरी के बिना संविदा या उसके किसी हिस्से या उसमें किसी हिस्से को सीधे या परोक्ष रूप से ट्रांसफर, असाइन या अंडरलेट नहीं करेगा और ऐसा न करने पर ठेकेदार संविदा की पूरी और संपूर्ण ज़िम्मेदारी से या काम के दौरान काम की एक्टिव निगरानी से आज़ाद हो जाएगा।
13. कोई भी बदलाव, चूक या बदलाव इस संविदा को खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर बैंक के इंजीनियर को काम के दौरान किसी भी समय काम में कोई बदलाव करना, उसमें कुछ जोड़ना या उसमें से कुछ हटाना या उसमें इस्तेमाल होने वाले सामग्रीकी क्वालिटी में कोई बदलाव करना सही लगता है और वह ठेकेदार को अपने हाथ से लिखकर इसकी सूचना देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी हो, बदलाव करेगा, उसमें कुछ जोड़ेगा या उसमें से कुछ हटाएगा, लेकिन ठेकेदार नियोक्ताकी पहले से लिखित सहमति के बिना कोई अतिरिक्तकाम नहीं करेगा, न ही काम में कोई बदलाव करेगा, कुछ जोड़ेगा या उसमें से कुछ हटाएगा या संविदा के किसी भी नियम से कोई बदलाव करेगा। ऐसे अतिरिक्तबदलावों, कुछ जोड़ने या उसमें से कुछ हटाने की कीमत, सभी मामलों में, नियोक्ताद्वारा धारा 17 के नियमों के अनुसार तय की जाएगी, और उसे, जैसा भी हो, संविदा अमाउंट में जोड़ा या घटाया जाएगा।

14. **मात्राओं की अनुसूची** : मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

जानकारी या मात्रा में कोई गलती या मात्रा के शेड्यूल से आइटम का छूट जाना इस संविदा को खराब नहीं करेगा, बल्कि उसे ठीक किया जाएगा और उसकी कीमत, जैसा कि धारा 17 के तहत पता लगाया गया है, संविदा अमाउंट में जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी (जैसा भी मामला हो), लेकिन अगर कोई गलती है, तो उसे ठीक करने की इजाजत ठेकेदार के रेट के शेड्यूल में नहीं दी जाएगी।

15. **मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता** : ठेकेदार को निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता और मात्राओं की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट माना जाएगा, जिन दरों और कीमतों में अनुबंध के तहत उसकी सभी बाध्यताओं और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को शामिल किया जाएगा।

16. **काम का माप** : बैंक का इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को बता सकता है कि उसे काम का माप चाहिए, और ठेकेदार तुरंत जाएगा या असिस्टेंट इंजीनियर की मदद के लिए एक काबिल एजेंट भेजेगा ताकि ऐसे माप और कैलकुलेशन किए जा सकें और सभी जानकारी दी जा सकें या उनमें से किसी के लिए भी ज़रूरी सभी मदद दी जा सके।

अगर ठेकेदार काम पर नहीं आता है या ऐसे एजेंट को भेजने में लापरवाही करता है या चूक जाता है, तो बैंक के इंजीनियर या उसके द्वारा मंजूर किए गए व्यक्ति द्वारा लिया गया माप ही काम का सही माप माना जाएगा। ऐसे माप विशेषताएँ में बताए गए माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट, मेज़रमेंट के समय, ज़रूरत के हिसाब से नोट्स और मेज़रमेंट ले सकता है।

सभी प्राधिकृत अतिरिक्त काम, कमियाँ और नियोक्ता की पहले से लिखकर मंजूरी लेकर किए गए सभी बदलाव ऐसे माप में शामिल किए जाएंगे।

17. **अतिरिक्त के लिए कीमतें** : ठेकेदार, जब नियोक्ता से लिखकर और प्राधिकृत मिले, तो ड्रॉइंग में दिखाए गए कामों में, या विशेष विवरण में बताए गए कामों में, या मात्रा के शेड्यूल में शामिल कामों में कुछ जोड़ सकता है, कुछ हटा सकता है या कुछ बदल सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे प्राधिकरण या निर्देश के बिना कुछ भी नहीं जोड़ेगा, कुछ नहीं हटाएगा या कुछ नहीं बदलेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा दिया गया कोई जुबानी अधिकार या निर्देश, अगर वे सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फर्म करते हैं, तो उसे लिखकर दिया गया माना जाएगा।

किसी अतिरिक्त के लिए कोई दावा तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे ऊपर दिए गए धारा के प्रावधान के तहत, यहाँ बताए गए नियोक्ता की सहमति से पूरा न किया गया हो। यहाँ बताए गए किसी भी अतिरिक्त को प्राधिकृत माना जाएगा और वह नीचे दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

- (a) (i) मूल निविदा में शुद्ध दरें या मूल्य अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगे जहाँ ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का हो और उसमें मूल्यांकित कार्य के समान शर्तों के तहत निष्पादित किया गया हो।

(ii) सभी वस्तुओं के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मात्राओं की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

- (b) ओरिजिनल निविदा की नेट कीमतों से छोड़ी गई चीज़ों की मूल्य तय होगी, लेकिन अगर किसी चूक से उन हालात में बदलाव होता है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं, तो उनकी कीमतों का मूल्येशन इसके सब-क्लॉज (c) के तहत किया जाएगा।

- (c) जहाँ अतिरिक्त काम पहले बताई गई शर्तों के हिसाब से एक जैसे नहीं हैं और/या एक जैसी शर्तों के तहत कोट नहीं किए गए हैं या जहाँ चूक उन शर्तों में बदलाव करती है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं या अगर पूरे संविदा काम या उसके किसी हिस्से की रकम के मुकाबले किसी चूक या बढ़ोतरी की रकम ऐसी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में, मात्रा के प्राइस शेड्यूल या निविदा में या काम के किसी आइटम के लिए नेट रेट या कीमत में ठेकेदार द्वारा सोचे गए नुकसान या खर्च से ज़्यादा नुकसान या खर्च शामिल है या ऐसी चूक या बढ़ोतरी की वजह से यह गलत या लागू नहीं होता है, तो बैंक का इंजीनियर

नियोक्ता की पहले से लिखित मंजूरी लेकर, ऐसी दूसरी रेट या कीमत तय करेगा जो उसे हालात के हिसाब से सही और उचित लगे।

- (d) जहां अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या मूल्य नहीं किया जा सकता, वहां ठेकेदार को निविदा या प्राइस शेड्यूल या मात्रा में बताए गए नेट रेट के हिसाब से दिन के काम की कीमतें दी जाएंगी, या अगर ऐसा नहीं बताया गया है, तो जिले के लोकल दिन के काम की दरों और मजदूरी के हिसाब से, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में, रोज़ का समय (काम करने वालों के नाम) और इस्तेमाल किए गए सामान के बारे में बताने वाले वाउचर, काम पूरा होने के बाद वाले हफ़्ते के आखिर में या उससे पहले बैंक के इंजीनियर को सत्यापन के लिए दिए जाएं।

संविदा के संबंध में माप और मूल्येशन अपेंडिक्स में बताए गए "फाइनल माप के समय" के अंदर पूरा किया जाएगा, या अगर नहीं बताया गया है तो संविदा का काम पूरा होने के छह महीने के अंदर, जैसा कि धारा 21 में बताया गया है।

18. अनफिक्स्ड सामग्री को नियोक्ता की संपत्ति माना जाता है

जहां किसी प्रमाणपत्रमें (जिसका ठेकेदार को भुगतान मिल गया है) बैंक के इंजीनियर ने काम के लिए और/या काम पर या उसके आस-पास रखे गए किसी भी बिना फिक्स किए गए सामान की कीमत शामिल की है, तो ऐसा सामान नियोक्ताकी संपत्ति बन जाएगा और नियोक्ताकी लिखी हुई इजाज़त के बिना, काम पर इस्तेमाल के अलावा उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसे सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा।

19. **गलत काम को हटाना** : काम के दौरान, नियोक्ता को समय-समय पर लिखकर आदेश देने का अधिकार होगा कि वह आदेश में बताए गए सही समय या समय के अंदर काम से कोई भी ऐसा सामान हटा दे जो बैंक के इंजीनियर की राय में विशेषताएँ के हिसाब से नहीं है, सही सामान बदले, और ऐसे किसी भी काम को हटाकर ठीक से दोबारा करे जो ड्राइंग और विशेषताएँ या निर्देशों के हिसाब से नहीं है और ठेकेदार तुरंत अपने खर्च पर ऐसे ऑर्डर को पूरा करेगा। अगर ठेकेदार ऐसे आदेश को पूरा करने में चूक करता है, तो नियोक्ता के पास इसे पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को काम पर रखने का अधिकार होगा; और इसके बाद होने वाले या उससे जुड़े सभी खर्च ठेकेदार उठाएगा, या नियोक्ता ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी राशि में से काट सकता है, या जो मिलने वाला हो सकता है।

20. **असल में काम पूरा होने के बाद कमियाँ** : कोई भी कमी, सिकुड़न, जमाव या दूसरी खराबी जो अपेंडिक्स में बताए गए "दोष जिम्मेदारी अवधि" के अंदर हो, या, अगर काम असल में पूरा होने के बारह महीने के अंदर कुछ नहीं बताया गया है, जो नियोक्ताकी राय में संविदा के हिसाब से काम न करने वाले सामग्रीसे हुई हो, नियोक्ताके लिखित निर्देश पर, और उसमें बताए गए सही समय के अंदर, ठेकेदार अपने खर्च पर उसे ठीक करेगा और डिफ़ॉल्ट होने पर नियोक्ताऐसे कमियों, सिकुड़न जमाव या दूसरी कमियों को ठीक करने और ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, और इसके कारण होने वाले सभी नुकसान और खर्च जो उससे जुड़े हैं, उन्हें नियोक्ताठीक करेगा और वहन करेगा या बैंक के इंजीनियर के लिखित प्रमाणपत्र पर, ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसे बदलाव और ठीक करने के बदले में ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से उतनी रकम काट सकता है, जितनी नियोक्तातय करेगा। ऐसे काम को बदलने का खर्च और अगर धारा 32 के तहत रखी गई रकम काफ़ी नहीं है, तो बाकी रकम ठेकेदार से वसूल की जाएगी, साथ ही नियोक्ताने इससे जुड़े जो भी खर्च किए हों, उन्हें भी वसूला जाएगा। अगर धारा 12 और 22 के तहत नामांकित किसी सब-ठेकेदार ने कोई खराब काम किया है या सामान सप्लाई किया है, तो ठेकेदार उसी तरह ठीक करने के लिए ज़िम्मेदार होगा जैसे कि ऐसा काम या सामान ठेकेदार ने किया हो या आपूर्ति किया हो और इस धारा 2 के नियम के तहत हो। ठेकेदार इस धारा के नियमों के तहत नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र पर साइन करने या कोई खाता पास करने के लिए ज़िम्मेदार रहेगा।

21. **आभासी पूर्णता प्रमाणपत्र और दोष जिम्मेदारी अवधि**: काम तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक बैंक का इंजीनियर लिखकर यह प्रमाणित न कर दे कि वे प्रत्यक्ष पूरे हो गए हैं। दोष देयता अवधि ऐसे प्रमाणपत्र की तारीख से शुरू होगा।

22. **नामित उप-ठेकेदार** : सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर तथा अन्य लोग जो किसी माल की आपूर्ति तथा मरम्मत का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम रकम मात्राओं और/या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल है,

जिन्हें नियोक्ता द्वारा मनोनीत या चुना जा सकता है या इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और उन्हें यहां मनोनीत उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामांकित सब-ठेकेदार को काम पर या उसके संबंध में काम पर नहीं रखा जाएगा। ठेकेदार के खिलाफ कोई सही आपत्ति नहीं होगी (सिवाय इसके कि आर्किटेक्ट और ठेकेदार किसी और तरह से सहमत हों) जो संविदा में शामिल नहीं होगा।

- (a) नामांकित उप-ठेकेदार, उप-संविदा के संबंध में ठेकेदार को उसी ज़िम्मेदारी से हर्जाना देगा, जो ठेकेदार इस संविदा के संबंध में है।
- (b) नामांकित सब-ठेकेदार, सब-ठेकेदार, उसके नौकरों या एजेंटों की किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी स्कैफोल्डिंग या दूसरे प्लांट, ठेकेदार की संपत्ति या किसी भी लागू वर्कमैन्स मुआवजा कानून के तहत किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल के दावों के खिलाफ ठेकेदार को हर्जाना देगा।
- (c) नियोक्ता का प्रमाणपत्र मिलने के चौदह दिनों के अंदर नामांकित सब-ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कोई भी प्रमाणपत्र जारी होने से पहले ठेकेदार, रिक्वेस्ट करने पर बैंक को यह प्रूफ देगा कि पिछले प्रमाणपत्र में शामिल सभी नामांकित सब-ठेकेदार के खाता सही तरीके से डिस्चार्ज हो गए हैं; ऐसा न करने पर नियोक्ता बैंक के प्रमाणपत्र पर भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को मिलने वाली किसी भी रकम में से उसकी रकम काट सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करने से नियोक्ता और सब-ठेकेदार के बीच कोई नीजी संविदा नहीं बनेगा।

23. **नियोक्ता द्वारा काम पर रखे गए दूसरे लोग :** नियोक्ता के पास यह अधिकार है कि वह इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी काम को करने के लिए स्थान और साइट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे वह दूसरे लोगों से करवाना चाहता है, और ठेकेदार ऐसे काम को करने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा, लेकिन नियोक्ता के साथ खास इंतज़ाम के अलावा ऐसे काम को करने के लिए कोई प्लांट या सामान देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा काम इस तरह से किया जाएगा कि संविदा में शामिल कामों की तरक्की में कोई रुकावट न आए और ठेकेदार ऐसे काम से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

24. **व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए बीमा :** ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोट या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा और संपत्ति को होने वाले सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो ठेकेदार या किसी भी उप- ठेकेदार या किसी नामित उप- ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की ओर से किसी भी कारक की चूक से उत्पन्न हो सकता है। इस खंड के तहत देयता में, अन्य बातों के साथ-साथ संरचनाओं को किसी भी नुकसान को भी कवर किया जाएगा, चाहे वह कार्यों से तुरंत सटा हो या अन्यथा; सड़कों, फुटपथों, पुलों के साथ-साथ इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले क्षति को इस संविदा का विषय वस्तु बनाते हैं। बारिश, हवा, ठंड या मौसम की अन्य अशांति के कारण इस संविदा के विषय को बनाने वाले भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले किसी भी क्षति के लिए ठेकेदार भी जिम्मेदार होगा। ठेकेदार नियोक्ता को और उसे किसी भी तरह की चोट या व्यक्तियों या संपत्ति को क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और खर्चों के संबंध में हानि रहित ठहराएगा और चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ, चाहे वह किसी भी कानून के तहत हो या अन्यथा और इस तरह के दावों के परिणामस्वरूप किसी भी पुरस्कार या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करेगा।

25. ठेकेदार इस धारा में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि संविदा का पूरा काम हर तरह से पूरा और सही तरीके से पूरा किया जा सके और अन्य पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई की जा सके या उन्हें पूरा किया जा सके।

ठेकेदार को एक बीमा पॉलिसी लेनी होगी जिसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर हो, ताकि इंसान की जान (जो ठेकेदार से जुड़े नहीं हैं) को होने वाले नुकसान/विकलांगता को कवर किया जा सके। इसमें साइट पर संविदा के काम के कंस्ट्रक्शन/इरेक्शन/कमीशनिंग के दौरान दूसरों के सामान/उपकरण/संपत्ति को होने वाले नुकसान का रिस्क भी कवर होगा, जिसमें अगर कोई बैंक हो, तो वे भी शामिल हैं। इंसान की जान के नुकसान या पूरी/आंशिक विकलांगता के लिए मुआवजे के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी की मूल्य, पूरी और आंशिक विकलांगता के लिए ज़रूरी कानूनी मूल्य

के बराबर होगी और फिर भी इसमें कोर्ट द्वारा दिए गए मुआवज़े को कवर किया जाएगा। दूसरों के उपकरण/संपत्ति को हुए नुकसान का कवर बैंक द्वारा मंजूर किया गया होगा। ठेकेदार के सब-ठेकेदार पॉलिसी में धारक या लाभार्थी नहीं होंगे और न ही उनका नाम पॉलिसी में होगा। बैंक ठेकेदार के साथ पॉलिसी का मुख्य धारक होगा। पॉलिसी असाइन करने का विशेष अधिकार बैंक के पास है।

ठेकेदार, नियोक्ता को उन सभी दावों से बचाएगा जो नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं, चाहे वह आम आदमी हो या कोई और थर्ड पार्टी, काम के संबंध में या उसके नतीजों में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए। और अपने खर्च पर, संविदा के लगभग पूरा होने तक, एक स्वीकृत कार्यालय में नियोक्ता और ठेकेदार के जॉइंट नाम से ऐसे रिस्क के लिए एक बीमा पॉलिसी लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और इस संविदा के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा। ठेकेदार भी इसी तरह, नियोक्ता को उन सभी दावों से बचाएगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वह वर्कमैन्स मुआवज़ा कानून के तहत हो या इस संविदा के चलने के दौरान लागू किसी और स्टेटस के तहत हो या ठेकेदार के किसी कर्मचारी या किसी सब-ठेकेदार के संबंध में कॉमन लॉ के तहत हो। और अपने खर्च पर, नियोक्ता और ठेकेदार के जॉइंट नाम से ऐसे रिस्क के लिए लागू करेगा और बनाए रखेगा और संविदा के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा।

ठेकेदार ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसियों से होने वाली किसी भी लायबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार होगा और इस संविदा के ट्रांज़िट, स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी को लापरवाही से या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को होने वाले सभी दूसरे नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। वह किसी भी दावा या कार्रवाई से होने वाले किसी भी खर्च, चार्ज या लागत के लिए नियोक्ता को हर्जाना भी देगा और उससे होने वाले किसी भी मुआवज़े या नुकसान के लिए भी हर्जाना देगा।

नियोक्ता ऐसे किसी दावे या क्षति से उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति, क्षतिपूर्ति, लागत, शुल्क और व्यय की राशि में कटौती करने का हकदार होगा।

ठेकेदार को मिलने वाली या मिलने वाली कोई भी या सभी रकम, नियोक्ता के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना। ठेकेदार अपने खर्च पर, नियोक्ता और खुद के जॉइंट नाम से, जिसमें नियोक्ता पहले (मुख्य) होगा, नीचे दी गई बीमा पॉलिसी को एक स्वीकृत कार्यालय में लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा (संविदा के लगभग पूरा होने तक) और इस संविदा के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा।

1. संविदा की कुल राशि के लिए स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी।
2. कामगार मुआवज़ा नीति
3. अन्य पक्ष देयता नीति की सीमा इस तरह है: संविदा पीरियड के लिए ₹ 10,00,000/- और हर घटना के लिए ₹ 2,00,000/-

26. **काम शुरू करने और पूरा करने की तारीख** : ठेकेदार को परिशिष्ट में बताई गई "शुरू होने की तारीख" पर या नियोक्ता द्वारा बताई गई हर बाद की तारीख पर साइट पर आने की इजाज़त दी जाएगी और वह उसके तुरंत बाद काम शुरू कर देगा और रेगुलर तौर पर काम करेगा और उसे पूरा करेगा (पेंटिंग या दूसरे सजावटी काम को छोड़कर, जिसमें बैंक देरी करना चाहे) या अपेंडिक्स में बताई गई "पूरा होने की तारीख" से पहले, लेकिन बाद में समय बढ़ाने के नियमों के तहत।
27. **पूरा न होने पर हर्जाना** : अगर ठेकेदार परिशिष्ट में बताई गई तारीख तक या धारा 26 और 20 के तहत किसी भी बढ़े हुए समय के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है, तो ठेकेदार नियोक्ता को परिशिष्ट में बताई गई रकम "लिक्विडेटेड डैमेज" के तौर पर उस समय के लिए देगा, जब तक काम अधूरा रहेगा और नियोक्ता ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से ऐसे हर्जाने की रकम काट सकता है।
28. **देरी और समय बढ़ाना** : अगर नियोक्ता की राय में काम में देरी हो रही है (a) किसी बड़ी वजह से या (b) किसी बहुत खराब मौसम की वजह से या (c) आस-पास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकारों की तरफ से की गई कार्रवाई या धमकी या उनके साथ विवाद की वजह से, जो ठेकेदार की अपनी गलती के अलावा किसी और कारण

से हुआ हो या (d) नियोक्ता द्वारा हायर या नामांकित किए गए दूसरे ठेकेदार या ट्रेड्समैन के काम या देरी की वजह से, जिनका ज़िक्र मात्राओं और/या विशेषताएँ के शेड्यूल में नहीं है या (e) धारा 17 के अनुसार बैंक के इंजीनियर के इंस्ट्रक्शन की वजह से (f) सिविल हंगामे, वर्कर्स के लोकल मेल या किसी भी बिल्डिंग ट्रेड पर असर डालने वाली हड़ताल या लॉकआउट की वजह से या (g) ठेकेदार को बैंक से ज़रूरी इंस्ट्रक्शन्स सही समय पर न मिलने की वजह से, जिसके लिए उसने खास तौर पर लिखकर अप्लाई किया हो या (h) दूसरे कारणों से जिन्हें बैंक ठेकेदार के कंट्रोल से बाहर प्रमाणित करे या (i) अगर काम की मूल्य, बदलाव की वजह से मात्राओं के प्राइस्ड शेड्यूल की मूल्य से ज़्यादा हो जाती है, तो बैंक सही और वाजिब कीमत तय कर सकता है। काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की जानकारी बैंक को लिखकर दी जाएगी, लेकिन फिर भी ठेकेदार देरी रोकने की लगातार कोशिश करेगा और काम आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो ज़रूरी हो।

29. गैर-प्रकटीकरण खंड

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान संविदाकार के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। संविदाकार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। संविदाकार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। संविदाकार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को संविदाकार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

30. **नियोक्ता के निर्देश का पालन करने में ठेकेदार की विफलता:** यदि 10 दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता वाले नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद संविदाकार इस तरह के आगे के आहरणों और/या बैंक के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता अन्य व्यक्तियों को ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए नियोजित और भुगतान कर सकता है जो उसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और उसके संबंध में की गई सभी लागतें नियोक्ता द्वारा संविदाकार से ऋण के रूप में वसूल की जाएंगी या संविदाकार के कारण किसी भी धन से उसके द्वारा काटी जा सकती हैं।

31. **नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति:** यदि ठेकेदार, जो एक व्यक्ति या फर्म है, कोई "दिवालियापन का काम" करता है या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या वह एक अनिगमित कंपनी है, तो उसके खिलाफ अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या स्वेच्छा से समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित करेगा या दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में अदालत और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन होगा, जैसा भी मामला हो, उसे नोटिस के बाद सात दिनों के भीतर असमर्थ होगा, जिसमें उसे नियोक्ता की उचित संतुष्टि दिखाने की आवश्यकता होती है कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और इसलिए सुरक्षा देने के लिए, यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो।

या अगर ठेकेदार (चाहे वह कोई व्यक्ति हो, पहली कंपनी हो या कंपनी बन गई हो) के खिलाफ कोर्ट से संपत्ति संलग्न करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रोसेस जारी किया जाएगा।

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से संलग्नहोने दिया जाएगा।

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को सबलेट पर दे देगा, जो पहले ली और ली गई थी।

या इस संविदा या ठेकेदार को इसके तहत मिलने वाले किसी भी भुगतान पर चार्ज या बोझ नहीं डालेगा।

(i) संविदा छोड़ दिया है, या

- (ii) काम शुरू करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के कार्य की प्रगति को बैंक से आगे बढ़ने के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद चौदह दिनों के लिए निलंबित कर दिया है, या
- (iii) काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा हो और ऐसी सही प्रोग्रेस करने में नाकाम रहा हो जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या
- (iv) बैंक से लिखित नोटिस मिलने के बाद कि उक्त सामग्री या काम को बैंक के इंजीनियर ने इन शर्तों के तहत कंडेम कर दिया है और रिजेक्ट कर दिया है, सात दिनों तक साइट से सामान हटाने या काम को गिराने और बदलने में नाकाम रहा है या
- (v) संविदा के तहत आने वाले किसी भी काम, बात या चीज़ को सात दिनों तक लगातार नज़रअंदाज़ किया गया है या लगातार नहीं किया गया है, जब तक ठेकेदार को लिखकर नोटिस नहीं दिया गया होगा कि वह उनका पालन करे या उन्हें पूरा करे।

फिर और ऐसे किसी भी मामले में, एम्प्लॉयर, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, संविदा तय कर सकता है, जो पूरा वैसा ही लागू रहेगा जैसे कि संविदा तय नहीं किया गया हो, और अगर बाद में किए गए काम ठेकेदार ने या उसकी ओर से किए गए हों। और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम में घुसकर काम और सभी प्लांट, औजार, मचान, शेड, मशीनरी, स्टीम और दूसरे पावर के बर्तन और स्थान या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सामान को अपने कब्जे में ले सकता है, और उसे अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर सकता है या काम को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए या काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे ठेकेदार या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पर रख सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे दूसरे ठेकेदार या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पूरा करने और फिनिशिंग करने या काम के लिए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या रुकावट डालने के लिए कोई काम, बात या चीज़ नहीं करेगा। काम कब पूरा होगा या उसके तुरंत बाद।

सुविधानुसार बैंक ठेकेदार को उसका अतिरिक्त सामान और संयंत्र हटाने के लिए लिखित में सूचना देगा, और यदि ठेकेदार सूचना मिलने के चौदह दिन के अंदर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता उसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और ठेकेदार को ऋण दे सकता है।

ठेकेदार को मिली नेट रकम का भुगतान। इसके बाद नियोक्ता यह पता लगाएगा और लिखकर प्रमाणित करेगा कि नियोक्ताने जो प्लांट और सामान लिया है, उसमें से कितना हिस्सा उसके कब्जे में है और नियोक्ता को काम पूरा करने में कितना खर्च या नुकसान हुआ है और अगर कोई रकम ठेकेदार पर बकाया है और जो रकम प्रमाणित की जाएगी, वह नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, दी जाएगी, और बैंक का प्रमाणपत्र दोनों पार्टियों के बीच आखिरी और पक्का होगा।

32. **ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति** : यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का यह भुगतान बकाया है और ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को उपरोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता वाले लिखित नोटिस के तीस दिन बाद तक भुगतान नहीं किया गया है, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी प्रमाणपत्र के जारी होने में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता अनुबंध को अस्वीकार कर देता है, या यदि वास्तुकार या नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी न्यायालय के किसी आदेश या अन्य आदेश द्वारा कार्य रोक दिया जाता है, तो और उक्त किसी भी मामले में ठेकेदार नियोक्ता को लिखित नोटिस द्वारा अनुबंध का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से किए गए सभी कार्यों के लिए भुगतान और अनुबंध के उद्देश्य के लिए आपूर्ति या खरीदे या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री पर उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे भुगतान की रकम तय करने में ठेकेदार के ओरिजिनल निविदा में दिए गए नेट रेट्स को फॉलो किया जाएगा या जहां वे लागू नहीं हो सकते, वहां मूल्यांकन इसके क्लॉज 17 के अनुसार किया जाएगा।

33. **प्रमाणपत्र और भुगतान** : ठेकेदार को नियोक्ता समय-समय पर बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाणपत्र के तहत किशतों में भुगतान करेगा। यह भुगतान अप्रैडिक्स में 'इंटरिम प्रमाणपत्र के लिए काम की मूल्य' के तौर पर बताई गई लगभग मूल्य के बराबर होगा, जो इस संविदा के अनुसार किया गया है। हालांकि, इस मूल्य का परसेंटेज अप्रैडिक्स में "कुल रिटेंशन रकम" के तौर पर रखा जाएगा, जिसके बाद किशतें बाद में किए गए और बिलडिंग में लगाए गए काम की पूरी मूल्य तक होंगी। और जब काम लगभग पूरा हो जाएगा, तो ठेकेदार को नियोक्ता बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के अनुसार परिशिष्ट में "आभासी पूर्णता के बाद किशत" के तौर पर बताई गई रकम का भुगतान करेगा, जो उस टोटल रिटेंशन मनी का हिस्सा होगा। और ठेकेदार, काम के लगभग पूरा

होने की तारीख से, या उस समय के खत्म होने के तुरंत बाद, जब काम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा और सभी डिफेक्ट्स को इसके असली इरादे और मतलब के हिसाब से ठीक कर दिया जाएगा, जो भी आखिरी होगा, ठेकेदार को धारा 21 और 36 के तहत उसकी देयता से छूट नहीं मिलेगी और न ही काम या सामग्री से जुड़े फ्रॉड, बेईमानी, या धोखे से छिपाने के मामलों में या प्रमाणपत्र में बताए गए किसी भी मामले में ठेकेदार को उसकी नाकाबिलियत से छूट मिलेगी और काम या सामग्री में उन सभी डिफेक्ट्स और कमियों के मामले में जो एक सही जांच से पता नहीं चल पाती।

अगर काम या उसका कोई हिस्सा नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो नियोक्ता के पास कोई भी प्रमाणपत्र रोकने का अधिकार होगा।

34. **देरी से भुगतान :** अगर नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को दी जाने वाली कोई भी रकम, अपेंडिक्स में दिए गए ' प्रमाणपत्र जारी करने के समय ' के अंदर नहीं दी जाती है, तो उस पर अपेंडिक्स में बताई गई "देरी से भुगतान के लिए ब्याज दर" के हिसाब से ब्याज लगेगा, उस तारीख से जब नियोक्ता को रकम देनी थी, भुगतान की तारीख तक।
35. **बैंक द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले मामले:** खंड 2, 4, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 (ए, बी, सी, डी, ई, एफ) के तहत सभी या किसी भी मामले के संबंध में निर्णय, राय, निर्देश प्रमाण पत्र (भुगतान को छोड़कर) इसके लिए पक्षों पर अंतिम और निर्णायक और बाध्यकारी होगा और अपील के बिना होगा। कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, इसके खंड 35 के तहत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, उसी तरह से सभी मामलों में (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित) जैसे कि यह बैंक के इंजीनियर का निर्णय था।
36. **मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा:** किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो अनुबंध से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) को बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा जैसा कि पिछले खंडों में कहा गया है। लेकिन यदि या तो, संविदाकार किसी भी मामले पर असंतुष्ट है, तो संविदाकार इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह आवश्यक है कि विवाद में मामलों पर मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी, जो विवाद या मतभेद में हैं जिनमें से ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ या अंपायर के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय, मांग या नोटिस, पिछले खंड में संदर्भित मामलों को छोड़कर, और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना पुरस्कार देगा (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके द्वारा तय किया जा सकता है या जैसा भी मामला पार्टियों की सहमति से हो सकता है) संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से. यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पार्टियां आपसी रूप से अपने विवाद या अंतर को सुलझाती हैं या समझौता करती हैं, पार्टियों द्वारा निपटान या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते या समझौते के संदर्भ में एक पुरस्कार देगा।

इस तरह के किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए आकस्मिक लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक में होगा, जैसा कि मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकता है या पार्टी और पार्टी के

बीच कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है, और किसके द्वारा और किसके द्वारा और किस तरीके से इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि संविदाकार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, संविदाकार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और संविदाकार एतद्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

37. अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

नियोक्ताको काम की तकनीकी जांच करवाने का अधिकार होगा और फाइनल बिल के भुगतान के समय ठेकेदार के सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्सट्रैक्ट वगैरह के साथ फाइनल बिल की जांच करवानी होगी। अगर इस जांच या किसी और वजह से कोई रकम ज़्यादा भुगतान की गई या ज़्यादा सर्टिफाइड पाई जाती है, तो नियोक्ताके लिए वह रकम वसूलना कानूनी होगा।

38. नियोक्ता कर्मचारी को दिए गए मुआवज़े को कवर करने का हकदार है

अगर किसी भी वजह से, एम्प्लॉयर, वर्कमैन्स मुआवज़ा कानून, 1923 के नियमों, या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए किसी वर्कर को मुआवज़ा देने के लिए मजबूर है, तो नियोक्ताको ठेकेदार से दिए गए मुआवज़ा की रकम वसूलने का हक होगा, और इससे उस कानून के तहत नियोक्ताके अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियोक्ताको सिक्योरिटी डिपॉज़िट या उसकी तरफ से दी जाने वाली किसी भी रकम में से ऐसी रकम या उसका कोई भी हिस्सा काटकर वसूलने की आज्ञा दी होगी। नियोक्ताउस कानून के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखकर रिकेस्ट करने और नियोक्ताको उन सभी खर्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी देने के, जिनके लिए नियोक्ताऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में ज़िम्मेदार हो सकता है।

39. कार्यों का परित्याग

अगर निविदा स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, नियोक्ताकिसी भी वजह से पूरा काम या उसका कोई हिस्सा नहीं करवाना चाहता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखकर नोटिस देगा। ठेकेदार का पूरे काम से हुए किसी भी मुनाफ़े या फ़ायदे के लिए किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और तरह के भुगतान का कोई दावा नहीं होगा।

40. अधिशेष सामग्री की वापसी

इस अनुबंध के किसी या सभी खंडों में निहित विपरीत किसी भी चीज के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत नियोक्ता की सहायता से खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्रियों को आर्थिक रूप से और केवल अनुबंध के उद्देश्य के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, तो सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर नियोक्ता को वापस कर देगा, निर्धारित की जाने वाली कीमत बिक्री कर, चुंगी और ठेकेदार द्वारा इसके संबंध में भुगतान की गई अन्य ऐसी लेवी सहित इसकी खरीद मूल्य से अधिक नहीं होगी, उपरोक्त शर्त के उल्लंघन के मामले में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट और/या विश्वासघात के आपराधिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, नियोक्ता को सभी धन, लाभ या मुनाफे के लिए उत्तरदायी होगा जो ऐसे उल्लंघन के कारण उसके लिए सामान्य पाठ्यक्रम में हुए थे या होते।

41. ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु होने पर नियोक्ता का संविदा खत्म करने का अधिकार

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर ठेकेदार, जो एक व्यक्ति है, की मौत हो जाती है, तो नियोक्ता के पास संविदा खत्म करने का विकल्प होगा, और ऐसी टर्मिनेशन के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

42. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न:

a) ठेकेदार "वर्कप्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और निवारण) कानून, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर, ठेकेदार/एजेंसी और ठेकेदार/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त कानून के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

b) सर्विस प्रोवाइडर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ से बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी दूसरी फर्म के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी ध्यान देगी।

c) अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो ठेकेदार को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या दूसरी फर्म के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।

d) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की स्थान पर यौन उत्पीड़न से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

e) ठेकेदार को बैंक की स्थान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यावत सूची देनी होगी।

मैंने/हमने ऊपर बताई गई सभी शर्तें समझ ली हैं और वे मुझे/हमें मंजूर हैं।

स्थान:

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम

पदनाम

फर्म का नाम और मुहर

खंड - V

विशेष शर्तें

1. यह काम बैंक के घर के अंदर नॉर्मल वर्किंग आवर्स में किया जाएगा, जिसमें रहने वालों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए पहले से प्लानिंग की जाएगी और बैंक के इंजीनियर्स से सलाह करके काम का सही क्रम तय किया जाएगा। काम तय समय में पूरा करना होगा और देर से काम करने के लिए किसी भी हालत में कोई अतिरिक्तचार्ज नहीं देना होगा।
2. काम करने वालों को स्थान के अंदर रहने की इजाजत नहीं होगी।
3. काम के लिए ज़रूरी बिजली और पानी साइट पर मौजूद सप्लाय से मुफ्त में लिया जा सकता है।
4. निविदा देने वाला व्यक्ति निविदा ड्रॉइंग, विशेष विवरणवगैरह के बारे में कोई भी जानकारी बैंक के किसी भी वर्किंग डे पर डिभागमेंट से ले सकता है।
5. ऊपर दिए गए काम से निकलने वाले मलबे/धूल या किसी भी तरह की बर्बादी को ज़रूरत के हिसाब से और बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार साफ़ किया जाएगा।
6. निविदा देने वाले को बैंक के इंजीनियर्स की संतुष्टि के अनुसार, साइट पर (बैंक की स्थान से) जमा हुआ सारा मलबा हटाना होगा।
7. ठेकेदार काम करते समय एक क्वालिफाइड सुपरवाइज़र को रखेगा। साइट पर कोई भी काम बिना सुपरवाइज़र की देखरेख से नहीं किया जाएगा।
8. निविदा देने वाला सिर्फ़ स्वीकृत ब्रांड का सामान इस्तेमाल करेगा। अगर निविदा देने वाला कोई विकल्प नहीं बताता है, तो बैंक को दिए गए नामों में से कोई भी ब्रांड का सामान चुनने की आज़ादी होगी।
9. यह काम सिविल कामों के साथ तालमेल बिठाकर किया जाना चाहिए और फ्लैट में रहने वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
10. काम के दौरान ठेकेदार की वजह से बैंक की किसी भी संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान को उसे अपने खर्च पर ठीक करना होगा।
11. **निविदा देने वालों द्वारा "रेट कॉलम" में ऑनलाइन दिए गए रेट में GST शामिल होना चाहिए।**
12. काम मिलने के बाद इनवॉइस जमा करते समय, ठेकेदार को काम की कीमत में शामिल GST अमाउंट साफ़-साफ़ बताना होगा।

स्थान: निविदा देने वाले के हस्ताक्षर
दिनांक:

नाम और पता

खंड V।

विद्युत काम के लिए तकनीकी विशेषताएँ

इस विशेष विवरणमें BOQ के अनुसार सामग्रीकी सप्लाई, फैब्रिकेशन, और विद्युत प्रणाली का इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल है। इस खंड के तहत काम संविदा के लागू प्रावधान और शर्तों के हिसाब से होगा।

सामान्य

बिल्डिंग और रिटेल आउटलेट स्टेशनों में पावर सप्लाई प्रणाली 415/240 Volts, 50 Hz, AC 3 फेज़ 4 वायर, लोकल विद्युत सप्लाई प्राधिकार से अर्थेड न्यूट्रल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

सभी सप्लाई और इंस्टॉलेशन का काम विशेष विवरण और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के हिसाब से किया जाएगा और भारतीय इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 (इसके लेटेस्ट संशोधन के साथ), भारतीय बिजली नियमों और ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जारी सभी संबंधित कोड और प्रैक्टिस में बताई गई ज़रूरतों के हिसाब से होगा। -काम आम या स्थानिक विधायिका के नियमों और किसी भी लोकल या दूसरी कानूनी प्राधिकार के नियमों का भी पालन करेगा जो लागू हो सकते हैं।

बिजली के काम के लिए ठेकेदार के पास वैध विद्युत ठेकेदार लाइसेंस होना चाहिए, जो उस तरह के काम के लिए संबंधित राज्य सरकार के लाइसेंसिंग बोर्ड, बिजली निदेशालय से मंजूर हो।

ठेकेदार जो काम करेगा, उसमें, जब तक कुछ और न बताया गया हो, ये शामिल होंगे, लेकिन सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं:

- i: ड्राइंग, विशेष विवरण और आइटम के शेड्यूल के अनुसार काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी लेबर, सुपरविज़न, सर्विस, मटीरियल, सपोर्ट, स्कैफोल्ड, कंस्ट्रक्शन उपकरण, टूल, प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह दें और अपने खर्च पर सामग्री और काम के सभी ज़रूरी टेस्ट करवाएं।
- ii: ड्राइंग में दिखाए गए विद्युत लेआउट के बावजूद, ठेकेदार को काम शुरू करने से पहले कंसल्टेंट / इंजीनियर इनचार्ज से साइट पर लेआउट की और मंजूरी लेनी होगी।-
- iii: काम शुरू करने से पहले मंजूरी के लिए सामग्री के सैंपल दें।
- vi: इंजीनियर -इनचार्ज को काम का निरीक्षण करने और अगर वे चाहें तो सैंपल लेने में मदद करने के लिए सुविधाएं देना।
- v: स्विचबोर्ड और दूसरे फैब्रिकेशन आइटम के जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग दें, जिन्हें इंजीनियर -इनचार्ज अपनी मंजूरी के लिए भेज सकते हैं।
- vi: काम के एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के अनुसार समय-समय पर सही विद्युत इंस्पेक्टर और सप्लाई प्राधिकार को जानकारी देना ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी और वह यह पक्का करने के लिए ज़िम्मेदार होगा कि सभी काम उनके अप्रूवल से पास हों।
- vii: सभी ज़रूरी चीज़ें देना जो खास तौर पर दिखाई या बताई नहीं गई हैं, लेकिन ड्राइंग, विशेष विवरण और चीज़ों के शेड्यूल के हिसाब से काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी हैं।
- viii: काम को बनाए रखना और मालिक को सही हालत में सौंपने तक उसे मेंटेन रखना।
- ix: काम को सही तरीके से करने के लिए मालिक द्वारा लगाई गई एजेंसियों समेत सभी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करें।-

सामग्री

सामग्रीस्वीकृत मेक और क्वालिटी का होना चाहिए। स्वीकृत ब्रांड और निर्माता के सामग्रीकी सूची एनेक्सर में दी गई है। अगर ऊपर बताई गई सामग्रीकी सूचीमें किसी प्रोडक्ट के दो या उससे ज़्यादा या दूसरे ब्रांड/मेक बताए गए हैं, तो काम में कौन सा ब्रांड/मेक इस्तेमाल किया जाएगा, यह फैसला नियोक्तालेगा और ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त कीमत के चुना हुआ ब्रांड/मेक देगा।

अगर, सामान सूचीमें दिए गए निर्माताके अलावा किसी और से लेना हो, क्योंकि सामान नहीं -मिल रहा है, तो कंसल्टेंट/इंजीनियर से पहले से मंजूरी लेनी होगी, जिसके साथ ज़रूरी स्टैंडर्ड को पूरा करने वाले ज़रूरी टेस्ट प्रमाणपत्र होने चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी, तो कंसल्टेंट के बताए अनुसार आगे के टेस्ट भी ठेकेदार को अपने खर्च पर करने होंगे।

ठेकेदार को ऑर्डर देने से पहले नियोक्तासे सभी सामग्रीके सैंपल की मंजूरी लेनी होगी और मंजूर किए गए सैंपल को नियोक्ताद्वारा वेरिफिकेशन के लिए साइट पर सही तरीके से सावधानी से संभालकर रखना होगा।

स्टैंडर्ड खरीदे गए आइटम के लिए, सूचीमें दी गई फर्मों के बनाए साइज़ ही माने जाएंगे, जब शेड्यूल में बताए गए साइज़ में बिना किसी वित्तीय समायोजन के कोई अंतर हो।

विशेष विवरण

जब तक खास तौर पर कुछ और न बताया गया हो, ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा प्रकाशित किए गए सभी लागू कोड और स्टैंडर्ड और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के बाद उनके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले सभी दूसरे पब्लिकेशन, डिज़ाइन, कारीगरी, सामग्रीकी क्वालिटी और प्रॉपर्टीज़ और टेस्टिंग के तरीके के संबंध में लागू होंगे।

सुरक्षा

जहां भी लोगों के लिए खतरा हो, सभी उपकरण में स्वीकृत सेफ्टी डिवाइस होने चाहिए और ऑपरेशन और मेंटेनेंस के कामों के लिए उपकरण तक और उसके आसपास लोगों के सुरक्षित पहुंचने का इंतज़ाम होना चाहिए।

चूहों, छिपकलियों और दूसरे रेंगने वाले जानवरों के अंदर आने से रोकने के लिए खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनसे लाइव उपकरण के अंदर विद्युत शॉर्ट सर्किट हो सकता है।

कार्य का समापन

इनचार्ज के कहने पर पूरे इंस्टॉलेशन को चालू करने, टेस्टिंग और फाइनल कमीशनिंग के बाद ही हर तरह से पूरा माना जाएगा।-

बिजली के हर काम का भुगतान, नाप के हिसाब से और पूरे हुए काम की मात्रा के हिसाब से किया जाएगा। पूरे हुए काम के हिस्से को लेकर किसी भी झगड़े की स्थिति में, इंजीनियर -इनचार्ज का फैसला आखिरी होगा और ठेकेदार को मानना होगा।

कार्य अनुसूची की प्रस्तावना

सफल निविदा देने वाला निविदा के लिए इनविटेशन के क्लॉज़, स्पेसिफिकेशन, काम का शेड्यूल और ड्रॉइंग को ध्यान से देखेगा और अपने रेट में वह रकम शामिल करेगा जो उसे उनमें दिए गए अलग-अलग धाराओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी लगे। काम के आइटम के सामने काम के शेड्यूल में बताई गई यूनिट कीमतों में संविदा के हिसाब से काम पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी इंस्टॉलेशन, एक्सेसरीज़ और कंज्यूमेबल्स शामिल होंगे। यूनिट कीमतों के अलावा, अचानक होने वाले काम और सामग्रीके लिए कोई अतिरिक्तरकम नहीं दी जाएगी।

काम के शेड्यूल में बताई गई मात्राओं संभावित मात्राओं हैं और यह साफ़ तौर पर समझना चाहिए कि संविदा एकमुश्त संविदा नहीं है, संभावित मात्राओं, पूरे निविदा की कीमत सिर्फ़ अंदाज़ा है और नियोक्ताकिसी भी तरह से निविदा देने वाले को यह भरोसा या गारंटी नहीं देता है कि काम की असली मात्रा निविदा में बताई गई संभावित मात्राओं के बराबर होगी।

मात्रा में किसी भी बदलाव पर यूनिट दरों में कोई बदलाव मंजूर नहीं होगा।

वायरिंग प्रणाली के लिए तकनीकी विनिर्देश

दायरा

इस विशेष विवरणमें सामग्रीकी सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग लगाना और चालू करना, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कनेक्शन, केबल बिछाना, अर्थिंग और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। इस सेक्शन के तहत काम संविदा के लागू नियम और शर्तें लागू होंगी।

सामान्य

ठेकेदार द्वारा दिया जाने वाला काम, जब तक कि कुछ और न बताया गया हो, में ये शामिल होंगे, लेकिन सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं होंगे:

- i: काम के लिए ज़रूरी लेबर, मटीरियल, सपोर्ट, स्कैफोल्ड, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का इंतज़ाम।
- ii: ऐसी सभी ज़रूरी चीज़ें देना जो खास तौर पर दिखाई या बताई नहीं गई हैं, लेकिन काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए ज़रूरी या ज़रूरी हैं, जो चीज़ों की ड्राइंग, विशेष विवरण और शेड्यूल से जुड़ी हों।
- iii: काम को ठीक से करने के लिए पूरा सुपरविज़न देना।
- iv: बताए गए किसी भी टेस्ट के संबंध में सभी खर्चे उठाना और उन्हें करना।

वायरिंग प्रणाली और अर्थिंग की सप्लाई और इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद, अगर इंजीनियर -इंचार्ज को सामग्रीया काम में कोई खराबी मिलती है, तो ठेकेदार उसे ठीक करेगा और अपने खर्च पर बेहतर और स्वीकृत सामग्री सप्लाई करेगा।

ठेकेदार को चोरी और अग्निसे बचने के लिए भी सभी सावधानियां बरतनी होंगी।

सामग्री

काम में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान IS। स्वीकृत क्वालिटी का होगा और अगर ऐसा नहीं है, तो IS विशेष विवरणके हिसाब से होगा।

वायरिंग प्रणाली

सभी लाइटों, पावर आउटलेट आदि का विद्युत लोड तीनों फेज़ में बैलेंस किया जाएगा।

आम तौर पर, लाइट और पंखों के लिए किसी भी सब सर्किट की फ़ाइनल लोडिंग -800 watts से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसे कुल 10 से ज्यादा पंखों, लाइट, सॉकेट आउटलेट वगैरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर बेल पुश कम वोल्टेज पर चलता है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के एक अलग सर्किट से फीड किया जाएगा।

16 Amps सब -सर्किट को ज्यादा से ज्यादा दो 16 Amp. सॉकेट आउटलेट से जोड़ा जाएगा। पावर के लिए 6 Amps सब सर्किट को ज्यादा से ज्यादा पाँच 6 Amp. सॉकेट आउटलेट से जोड़ा जाएगा।

पावर सर्किट हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या MCB DB से शुरू होगा और जहाँ तक हो सके, यह एक अलग नाली में चलेगा।

पॉइंट वायरिंग का मतलब होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के एक तरफ से बिजली के इस्तेमाल के पॉइंट तक वायरिंग, यानी जहां लोड लगाया जाता है और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पूरी वायरिंग, स्विच बोर्ड की सप्लाय और फिक्सिंग, कंट्रोलिंग स्विच, सीलिंग रोज़, बैटन धारक और सॉकेट आउटलेट वगैरह शामिल होंगे, जैसा ज़रूरी हो।

इंसुलेटेड या कवर्ड अर्थिंग कंडक्टर, जहाँ भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें ज़रूरत के हिसाब से हरे रंग की इंसुलेशन ब्रेडिंग या कवरींग होनी चाहिए। किसी भी हालत में हरे रंग का इस्तेमाल अर्थिंग कंडक्टर के अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ अलग-अलग रंगों के केबल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहचान के लिए यह प्रणाली इस्तेमाल किया जाएगा:

लाल या कोई भी रंग (काले या हरे के अलावा)	फेज या स्विच वायर के लिए
काला	तटस्थ के लिए
हरा	पृथ्वी के लिए

जब तक मात्रा के शेड्यूल में कुछ और न बताया गया हो, कंडक्टर के साइज़ के हिसाब से निकेल प्लेटेड पीतल के इन्सर्ट और स्कू वाले सिंगल वे बेकेलाइट टर्मिनल कनेक्टर का इस्तेमाल जंक्शन बॉक्स और स्विच बोर्ड में बीच की वायरिंग/जॉइंट के लिए या इंजीनियर इनचार्ज द्वारा मंज़ूर किसी दूसरे तरीके से किया जाएगा।-

लाइट, पंखे, प्लग पॉइंट वगैरह के लिए कंड्यूट में डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग प्रणाली में लूपिंग में की जाएगी। इस प्रणाली में, प्रणाली में कहीं भी कोई जोड़ या कनेक्शन नहीं बनाया जाएगा, सिवाय टर्मिनेटिंग पॉइंट जैसे स्विच, सीलिंग रोज़ वगैरह के टर्मिनल और सॉकेट आउटलेट के मामले में सॉकेट टर्मिनल के। **जंक्शन बॉक्स में न्यूट्रल वायर के बीच के वायरिंग जोड़ों की इजाज़त नहीं होगी।**

सभी बीच के जोड़ या कनेक्शन सिर्फ़ स्विच बोर्ड में ही बनाए जाएंगे।

कंड्यूट वायरिंग

सभी कंड्यूट ISI मार्क वाले होंगे और हेवी ड्यूटी रिजिड PVC कंड्यूट से फिनिश किए जाएंगे। सभी कंड्यूट एक्सेसरीज़ IS विशेषताएँ के हिसाब से होंगी। 20mm से कम डायमीटर वाले कंड्यूट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हेवी-ड्यूटी GI सैडल को सरफेस वायरिंग में वर्टिकल रन के लिए 750 mm से ज़्यादा और हॉरिज़ॉन्टल रन के लिए 500 mm से ज़्यादा के गैप पर फिक्स नहीं किया जाएगा।

PVC कंड्यूट की मोटाई मैकेनिकल चोटों को झेलने के लिए काफी होनी चाहिए। PVC कंड्यूट के साथ IS: 3419 1976 के हिसाब से PVC कंड्यूट एक्सेसरीज़ -इस्तेमाल की जाएंगी।

छिपी हुई वायरिंग

वायरिंग का यह प्रणाली सरफेस कंड्यूट वायरिंग प्रणाली की सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा।

चेज़ बनाना: दीवार में चेज़ को साफ़-सुथरा बनाया जाना चाहिए और उसका साइज़ इतना होना चाहिए कि कंड्यूट को मनचाहे तरीके से फिक्स किया जा सके। कंड्यूट बनने के बाद और दीवार की ओरिजिनल फिनिश तक लाने के बाद, उसे साफ़-सुथरा भरा जाना चाहिए। क्रॉसिंग के लिए प्लोर से चेज़िंग की इजाज़त है और मौजूदा छिपे हुए कंड्यूट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वह इस्तेमाल करने लायक हो और उसकी हालत अच्छी हो। इन नियमों का इस्तेमाल बैंक के इंजीनियर की मंजूरी से ही किया जाना चाहिए।

चेज़ में कंड्यूट लगाना: दीवार में चेज़ में कंड्यूट को स्टेपल या सैडल से 60 cm से ज़्यादा दूरी पर नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक हो सके, स्टैंडर्ड एल्बो लगाने से बचना चाहिए और सभी मोड़ को कंड्यूट पाइप को ही लंबे रेडियस पर मोड़कर बनाए रखना चाहिए, जिससे PVC इंसुलेटेड तार आसानी से निकाले जा सकें।

निरीक्षण बॉक्स: समय-समय पर निरीक्षण करने और ज़रूरत पड़ने पर तारों को हटाने में आसानी के लिए सही निरीक्षण बॉक्स दिए जाएंगे। इनमें निरीक्षण बॉक्स कवर लगे होंगे।

इस्तेमाल की जाने वाली एक्सेसरीज़ के प्रकार: सभी आउटलेट, जैसे स्विच, वॉल सॉकेट, वगैरह फ्लश माउंटिंग टाइप के होते हैं।

आउटलेट बॉक्स को दीवार के साथ समतल में लगाया जाएगा।

तारों

जब तक मात्रा के शेड्यूल में कुछ और न बताया गया हो, कंड्यूट प्रणाली में वायरिंग के लिए सिर्फ सिंगल कोर PVC इंसुलेटेड / PVC इंसुलेटेड और शीथेड केबल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मल्टी स्टैंड हों और जो संबंधित IS के अनुसार स्वीकृत निर्माता के हों।

एक नली में खींचे गए तारों की अधिकतम संख्या इस खंड में दी गई तालिका-1 में दी गई अनुशंसित संख्या से अधिक नहीं होगी।

तालिका नंबर एक

तार का नाममात्र अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वर्ग मिमी में।	20 मिमी नाली	25 मिमी नाली	32 मिमी नाली
3x 1.5	2 सर्किट	3 सर्किट	4 सर्किट
2x 2.5+ 1x1.5	2 सर्किट	3 सर्किट	4 सर्किट
2x4 + 1x2.5	1 सर्किट	शून्य	शून्य

वितरण बोर्ड / एमसीबी वितरण बोर्ड की स्थापना और वायरिंग।

जहां डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड/MCB DB को छिपाकर लगाया जाएगा, वहां दीवार में छेद साफ-सुथरा बनाया जाएगा और उसका साइज़ इतना होगा कि DB को दीवार में धंसाया जा सके और दीवार की तैयार सतह के साथ मिलाया जा सके।

सभी नंगे कंडक्टर इस तरह से मज़बूती से लगाए जाएंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटिंग सामग्री के अलावा दूसरे सामग्री के बीच कम से कम 25 mm का गैप बना रहे।

ग्राउंडिंग

अलग-अलग बिजली के उपकरणों के सभी नॉन-करंट ले जाने वाले मेटैलिक हिस्से, साथ ही केबल आर्मरिंग, मेटैलिक कंड्यूट, केबल रैक/ट्रे, ब्रेकेट, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वगैरह को अच्छे से अर्थ किया जाएगा।

पृथ्वी इलेक्ट्रोड

पाइप इलेक्ट्रोड

अर्थिंग स्टेशन के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड में 50mm इंटरनल डायमीटर और 3 Mtr लंबाई का GI पाइप 'B' क्लास एक ही पीस में होगा। 40mm x 6mm गैल्वेनाइज्ड MS फ्लैट्स से बने सही क्लैप, बोल्ट और नट के साथ, अर्थ कंडक्टर को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोड के साथ ऊपर के सिरे से 100 mm की दूरी पर दिए जाएंगे। अर्थ इलेक्ट्रोड में कोई जोड़ नहीं लगाया जा सकेगा। इलेक्ट्रोड को मेसनरी स्ट्रक्चर से कम से कम 2 मीटर दूर लगाया जाएगा और दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पैरेलल में लगाने पर 2 मीटर से कम नहीं होगी और बेहतर होगा कि इलेक्ट्रोड की लंबाई से दोगुनी यानी 6 मीटर लगाई जाए। एक मेसनरी निरीक्षणपिट 300mm गहरा (जब तक कुछ और न कहा गया हो) 125 mm मोटे सीमेंट मोर्टार

(6:1) ईट के काम से बनाया जाएगा, अंदर और बाहर दोनों तरफ 20mm मोटी प्लास्टर की हुई और मिट्टी के गड्ढे के अंदर, ऊपर और बाहर चारों ओर 1.5 mm मोटी सफाई से सीमेंट किया हुआ होगा, ताकि GI पाइप का ऊपरी हिस्सा तैयार ज़मीन के लेवल से 250 mm नीचे हो और ऊपर की ओपनिंग में CI फ्रेम और CI कवर स्टैंडर्ड के हिसाब से और बताए गए तरीके से लगाया जाएगा।

अर्थ बसबार

मात्रा के शेड्यूल में, अर्थ बस बार GI फ्लैट (25mm x3 mm) के होंगे, जिनमें गैल्वेनाइज्ड स्टील बोल्ट, नट, प्लेन और स्प्रिंग वॉशर के साथ सही संख्या में ड्रिल किए हुए छेद होंगे ताकि अर्थ लीड और कंडक्टर की कंटेन्यूटी को सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सके। बस बार दीवार पर फिक्स किया जाएगा, जिसमें दीवार से 6mm की दूरी होगी और स्पेसिंग इंस्पुत्र होंगे।

पृथ्वी सीसा कंडक्टर

जब अर्थ कंडक्टर को बिल्डिंग/सब-स्टेशन के अंदर बिछाया जाता है, तो उसे इंस्टॉलेशन के आधार पर या तो केबल रैक/ट्रे, दीवारों, छत वगैरह पर खुला रखा जाएगा या कंक्रीट में लगाया जाएगा।

अर्थिंग लीड्स का कनेक्शन अर्थ इलेक्ट्रोड से और फ्लैट अर्थ कंटेन्यूटी कंडक्टर का उपकरण से टर्मिनेशन बोल्टिंग से किया जाएगा। स्टैंडर्ड अर्थ वायर का कनेक्शन अर्थ बस के साथ-साथ उपकरण से क्रिम्पिंग टाइप लम्स और बोल्टिंग से किया जाएगा। फ्लैट अर्थ कंडक्टर की जॉइंटिंग और टैपिंग स्टैंडर्ड के अनुसार की जाएगी।

अर्थिंग प्रणालीके किसी भी पॉइंट से अर्थ रेजिस्टेंस 5 ohm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ।

स्विच और पंखा रेगुलटर

लाइट और पंखे के स्विच 6 amp. 250 वोल्ट के लिए रेटेड होने चाहिए और मॉड्यूलर टाइप के होने चाहिए और मॉड्यूलर प्लेट (स्विच बनाने वाली कंपनी द्वारा बनाए गए) के साथ GI स्टील बॉक्स पर फ्लश माउंटिंग के लिए सही होने चाहिए। स्विच स्वीकृत मेक के होने चाहिए और कंसल्टेंट/इंजीनियर -इनचार्ज को मंज़ूर होने चाहिए। स्विच संबंधित IS के हिसाब से होने चाहिए।

सॉकेट आउटलेट और प्लग

ये 3 पिन टाइप के होंगे और इनकी रेटिंग 6 amps (लाइट के लिए) और 5 पिन टाइप की होगी जिनकी रेटिंग 16 amps (पावर के लिए) होगी। हर सॉकेट आउटलेट में कंट्रोलिंग स्विच लगा होगा। सॉकेट आउटलेट में स्वीकृत मेक के मॉड्यूलर टाइप के स्विच होंगे और कंसल्टेंट/इंजीनियर -इनचार्ज को मंज़ूर होंगे। सॉकेट आउटलेट और प्लग संबंधित IS विशेषताएँ के हिसाब से होंगे।

कारीगरी और स्थापना कार्य

काम अच्छी व्यावसायिक क्वालिटी का होना चाहिए और सारा सप्लाय सामग्री और इंस्टॉलेशन का काम कंसल्टेंट/इंजीनियर -इनचार्ज की पूरी संतुष्टि के साथ पूरा किया जाएगा।

ठेकेदारों की दर में शामिल करें

इस संविदा में कहीं और बताई गई दूसरी बातों के अलावा, ऊपर बताई गई रेट्स में ये चीज़ें शामिल होंगी:

- i. ऊपर बताई गई चीज़ों को बनाने और लगाने के लिए ज़रूरी सभी लेबर , मटीरियल, टूल्स और कंस्ट्रक्शन उपकरण।
- ii. मचान बनाना और हटाना शामिल है।
- iii. अगर कोई सिविल काम खराब हुआ हो, तो उसे ठीक करना।

काम पूरा करने के लिए पहले से बिछाई गई नाली में ज़रूरी बदलाव करना, जिसमें मेटल/PVC नाली और एक्सेसरीज़ की सप्लाय और फिक्सिंग, चेज़ कटिंग वगैरह शामिल हैं।-

v. बैंक के इंजीनियर के साथ तय किए गए इस काम से निकलने वाले मलबे को रेगुलर साफ़ करना। अगर बैंक की संतुष्टि के अनुसार ऐसा नहीं किया जाता है, तो फ़र्म को मिलने वाला भुगतान तब तक रोका जा सकता है जब तक कि सफ़ाई न हो जाए/ दूसरी एजेंसियों के ज़रिए मलबे को हटाने का खर्च ठेकेदार से उनके भुगतान में से सही कटौती करके वसूला जा सकता है।

vi. काम शुरू करने के लिए लोकल बिजली डिस्ट्रीब्यूशन प्राधिकार से संपर्क करने का कोई भी काम ठेकेदार को अपने खर्च पर करना होगा और निविदा किए गए काम से जुड़ी किसी भी सरकारी प्राधिकार /बिजली प्राधिकार को देने लायक कोई भी रकम, ठेकेदार द्वारा दी गई ओरिजिनल रसीद/फीस जमा करने पर ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

खंड - VII

इसमें संदर्भित परिशिष्ट

1.	दोष दायित्व अवधि	आभासी पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 12 महीने।
2.	अंतिम माप की अवधि	अंतिम कमीशनिंग की तारीख से 1 महीना।
3.	प्रारंभण की तिथि	कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10वां दिन
4.	पूरा होने की अवधि	कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10वें दिन से 4 महीने
5.	परिसमापन हर्जाना	देरी के हर हफ्ते के लिए संविदा मूल्य का 0.25%, जो संविदा रकम का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा।
6.	अवधारण प्रतिशत	हर बिल से काम की कीमत का 5% रखा जाएगा और दोष जिम्मेदारी अवधि खत्म होने तक रखा जाएगा। इस रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
9.	अंतिम भुगतान का सम्मान करने की अवधि	संयुक्त माप की तारीख से 3 महीने (सभी तरह से सही बिल दिखाने पर)
10.	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	3 प्रतिशत प्रति वर्ष

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है

निविदा देने वालों से बात करें और उन्हें स्वीकार करें।

तारीख:

स्थान: ठेकेदार के हस्ताक्षर

खंड - VIII

**आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स प्लामूड में 5 फ्लैटों (फ्लैट क्र. A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36) का विद्युत नवीनीकरण
चेक सूची**

क्रमांक।	विवरण	बैंक की शर्तें	निविदा देने वाले को मंजूर है या नहीं (कृपया हाँ या नहीं बताएं)
1.	वैधता	भाग I खोलने की तारीख से 90 दिन।	
2.	प्रतिधारण धन	हर बिल से काम की कीमत का 5% रखा जाएगा और दोष जिम्मेदारी अवधि खत्म होने तक रखा जाएगा।	
3.	कीमतों	संविदा की पूरी अवधि के लिए पक्का रहेगा।	
4.	समापन अवधि	कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10वें दिन से 4 महीने	
5.	काम पूरा होने में देरी के लिए लिक्विडेटेड डैमेज	हर हफ्ते संविदा मूल्य का 0.25%, जो संविदा मूल्य का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा।	
6	गारंटी	आभासी पूरा होने की तारीख के एक साल बाद।	
7	अदायगी की शर्तें	निविदा के नियम और शर्तों के अनुसार	
8	बीमा	के लिए शामिल होगा 1. संविदा की कुल रकम के लिए स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी। 2. श्रमिक मुआवजा नीति और 3. नियम और शर्तों के अनुसार थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी	

ठेकेदार के हस्ताक्षर _____

फर्म का नाम _____

फर्म की मुहर _____

तारीख:

खंड - IX

स्वीकृत मेक की सूची

समान नीचे बताए गए में से बनाए जाएंगे। सभी विद्युत आइटम, उपकरण, फिटिंग पर BIS मार्क होंगे और वे बैंक के अप्रूवल के अधीन होंगे।

क्रम संख्या	वस्तु	अनुमोदित पुरुष
1	डीबी/एमसीबीएस/आरसीसीबी	लेग्रैंड/ लॉरिटज़ नुडसेन/समकक्ष
2	तार (FRLS)/ केबल	फिनोलेक्स / पॉलीकैब / RR केबल / KEI / समतुल्य
3	मॉड्यूलर स्विच/ प्लेट्स/ रेगुपत्र/ टीवी सॉकेट/ टेलीफोन सॉकेट/ मॉड्यूलर MCB	लेग्रैंड माइलिन्क /समतुल्य
4	ट्यूबलाइट / बल्ब	फिलिप्स/ क्रॉम्पटन/ हैवेल्स/ जीएम/ विप्रो/ समतुल्य
5	वॉल ब्रैकेट फिटिंग/ एंगल बैटन / सरफेस LED फिटिंग	फिलिप्स/ क्रॉम्पटन/ हैवेल्स/ जीएम/ विप्रो/ समकक्ष
6	दीवार पंखा/ निकास पंखा/ छत पंखा	एटमबर्ग/ हैवेल्स/ क्रॉम्पटन/ समकक्ष
7	पीवीसी नलिकाएं	प्रेसिजन/मोडिस/ फिनोलेक्स /बाल्को/समकक्ष

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

खंड - X

करार की शर्तें

(काम मिलने पर स्टाम्प पेपर पर जमा करना होगा)

समझौता आलेख एक पक्ष के भारतीय रिजर्व बैंक, (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) और दूसरे पक्ष के _____ (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) के बीच _____ दिन को बनाए गए।

जबकि बैंक निम्नलिखित प्रदान करने का कार्य प्राप्त करने का इच्छुक है आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स प्लामूड में 5 फ्लैटों (फ्लैट क्र. A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36) का विद्युत नवीनीकरण और किए जाने वाले कामों के बारे में जानकारी दी गई है।

और जबकि बताए गए विशेषताएँ, मात्राओं का शेड्यूल और ड्राइंग्स पर पार्टियों की ओर से या उनके द्वारा साइन किए गए हैं।

और जबकि ठेकेदार ने यहां बताई गई शर्तों और स्पेशल शर्तों और संविदा की मात्रा और शर्तों के शेड्यूल में बताई गई शर्तों (जिन सभी को एक साथ "कहा गया शर्त" कहा गया है) के तहत, बताई गई ड्राइंग में दिखाए गए और/या बताई गई विशेष विवरणों में बताए गए और मात्रा के शेड्यूल में शामिल कामों को वहां बताई गई संबंधित दरों पर पूरा करने के लिए सहमति दी है, जो वहां तय की गई रकम या उसके तहत देय दूसरी रकम के बराबर होगी (जिसे आगे 'कहा गया संविदा अमाउंट' कहा गया है)।

अब यह इस प्रकार सहमत है:

1. बताई गई शर्तों में बताए गए समय और तरीके से भुगतान की जाने वाली संविदा रकम के बदले में, ठेकेदार बताई गई शर्तों के तहत, बताई गई ड्राइंग्स में दिखाए गए और बताई गई विशेषताएँ और मात्राओं के सूची में बताए गए काम को पूरा करेगा।
2. बैंक ठेकेदार को बताई गई संविदा रकम, या कोई दूसरी रकम जो देने लायक हो, शर्तों में बताए गए समय और तरीके से देगा।
3. बताई गई शर्तों और उसके अपेंडिक्स को इस करार का हिस्सा माना जाएगा और इसमें शामिल पार्टियाँ अपनी-अपनी तरफ से बताई गई शर्तों का पालन करेंगी, उनके अधीन रहेंगी और बताई गई शर्तों में दिए गए करार को पूरा करेंगी।
4. यहां बताए गए प्लान, करार और दस्तावेज़ इस संविदा का आधार होंगे।
5. यह संविदा न तो एकमुश्त तय संविदा है और न ही पीस वर्क संविदा है, बल्कि यह आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स प्लामूड में 5 फ्लैटों (फ्लैट नंबर A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36) के विद्युत नवीकरण के संबंध में विद्युत रिवायरिंग और विद्युत फिटिंग्स बदलने के काम का प्रावधान करने का संविदा है, जिसका भुगतान शेड्यूल ऑफ़ रेट्स में दी गई दरों पर असल मापी गई मात्रा और संभावित मात्रा के हिसाब से या बताई गई शर्तों में दिए गए अनुसार किया जाएगा।
6. ठेकेदार, सिविल कामों और दूसरे सहायक कामों से जुड़े सभी कामों को शर्तों में बताए गए तरीके से करने के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा, और ऐसे काम पूरे होने के बाद दीवारों, फर्श वगैरह को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।
7. बैंक इस संविदा पर बिना किसी असर के, काम के किसी भी आइटम को जोड़कर या हटाकर, या उसके कुछ हिस्सों को करवाकर, ड्राइंग और काम के नेचर को बदलने का अधिकार अपने पास रखता है।
8. इस संविदा में समय को सबसे ज़रूरी माना जाएगा, और ठेकेदार शर्तों के मुताबिक, फॉर्मल वर्क ऑर्डर जारी होने के दसवें दिन से काम शुरू करने और 4 महीने के अंदर पूरा काम पूरा करने के लिए सहमत है, फिर भी समय बढ़ाने के नियमों के तहत।

9. इस संविदा के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान सिर्फ तिरुवनंतपुरम में किए जाएंगे।
10. इस करार से जुड़े या किसी भी तरह से पैदा होने वाले सभी झगड़े तिरुवनंतपुरम में पैदा हुए माने जाएंगे और सिर्फ तिरुवनंतपुरम की अदालतों को ही उन्हें तय करने का अधिकार होगा।
11. ठेकेदार, नियोक्ता के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/ उपकरण वगैरह की कोई भी जानकारी, सामग्री और जानकारी, जो इस करार के संबंध में संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान उसके पास या जानकारी में आए, किसी तीसरे पक्ष को सीधे या इनडायरेक्टली नहीं बताएगा और इसे हर समय पूरी तरह से सीक्रेट रखेगा। ठेकेदार संविदा की जानकारी को नीजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि यह इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। ठेकेदार, नियोक्ता की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या तकनीकी पेपर या कहीं और काम की कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित होने नहीं देगा, या शेयर नहीं करेगा। ठेकेदार, किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण की वजह से नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को ठेकेदार की तरफ से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्तानुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।
12. ठेकेदार/एजेंसी "काम की स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और समाधान) कानून, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त कानून के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
13. अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो ठेकेदार को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की स्थान पर यौन उत्पीड़न से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार अपने मज़दूरों को इतनी संख्या में काम पर रखेगा कि काम की रफ़्तार और क्वालिटी बनी रहे, ताकि संविदा में बताई गई क्वालिटी का काम आरबीआई को संतुष्ट कर सके। ठेकेदार काम के सिलसिले में ऐसे किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा जिसकी उम्र अठारह साल पूरी न हुई हो।
14. ठेकेदार द्वारा रखे गए सभी वर्कर या कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारी माने जाएंगे और ऐसे वर्कर/कर्मचारियों के संबंध में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठेकेदार अपने द्वारा सीधे काम पर रखे गए मज़दूरों को मिनिमम वेज कानून के अनुसार सही मज़दूरी से कम नहीं देगा। सही मज़दूरी का मतलब है, मज़दूरी, जिसमें हफ़्ते के आराम के दिन की मज़दूरी और दूसरे भत्ते शामिल होंगे, चाहे वे टाइम वर्क के लिए हों या पीस वर्क के लिए, आस- पड़ोस में इसी तरह के रोज़गार के लिए मौजूदा मार्केट रेट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन यह मिनिमम वेज कानून के भुगतान के तहत तय की गई मज़दूरी की न्यूनतम दरों से कम नहीं होगी।
15. ठेकेदार अपने या अपने सब-ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए लेबर के मामले में, उसमें दिए गए सभी मामलों में बोलीर लेबर नियमन का पालन करेगा या करवाएगा। ठेकेदार भुगतान ऑफ़ वेजेज़ कानून, 1936, मिनिमम वेजेज़ कानून, 1948, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी कानून, 1938, वर्कमेन्स मुआवजा कानून, 1923, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कानून, 1947, मैटरनिटी बेनिफिट कानून, 1970, यौन उत्पीड़न ऑफ़ वीमेन एट वर्क प्लेस (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) कानून, 2013, या उसमें कोई बदलाव या उससे जुड़े किसी दूसरे कानून और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान का पालन करेगा। ठेकेदार रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा।

काम के दौरान या उसके कारण किसी तीसरे पक्ष को जान या संपत्ति को हुए नुकसान/क्षति से होने वाला कोई भी दावा।

b) काम के दौरान ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए मज़दूरों को हुए नुकसान/क्षति से होने वाला कोई भी क्लेम।

लेबर कानूनों, ईएसआई नियमन आदि का पालन न करने के कारण से कोई दावा।

16. ठेकेदार को काम शुरू करने से पहले, अपने खर्च पर, भारतीय रिज़र्व बैंक से ज़रूरी बीमा कवर (जैसे कर्मचारी मुआवजा पॉलिसी, ठेकेदार की पूर्ण जोखिम पॉलिसी, तीसरे पक्ष की जिम्मेदारी) लेना होगा।

17. लेबर (नियमन और एबोलिशन) कानून, 1970 के प्रावधानों का पालन करना होगा। फ़ाइनल बिल जारी करने से पहले, ठेकेदार को एक प्रमाणपत्र देना होगा कि उसने अपने द्वारा काम पर रखे गए सभी तरह के मज़दूरों को इस काम को पूरा करने के लिए पूरी भुगतान मिनिमम वेज कानून, 1949 के तहत तय रेट से कम नहीं होगी और संविदा लेबर को ज़रूरी सुविधाएँ देने के लिए CLRA कानून के प्रावधानों का पालन किया है।
18. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 महामारी के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार और बैंक द्वारा जारी निर्देशों का बैंक में तैनात कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाए। नियंत्रण क्षेत्र या संगरोध में रहने वाले श्रमिकों को काम के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ठेकेदार को बैंक में तैनात कर्मचारियों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और यदि किसी कर्मचारी/कर्मचारी के परिवार के सदस्य को 'कोविड' संक्रमित पाया जाता है, तो कर्मचारियों को तुरंत बदलने की कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक वे तैनात रहें, कर्मचारियों को सख्त सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। ठेकेदार उन्हें आवश्यक दस्ताने, मास्क, सैनिटाइज़र, आदि और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) प्रदान करेगा, यदि आवश्यक हो, बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के। इसके अलावा, ठेकेदार उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में अपनी विफलता, गलती या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय/कानूनी देनदारी से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।
19. भुगतान तब किया जाएगा जब बैंक का इंजीनियर यह प्रमाणित कर देगा कि काम ठीक से पूरा हो गया है, MSME कानून के मुताबिक सर्विस पूरी होने/डिलीवरी के 45 दिनों के अंदर। HSN/SAC कोड और बैंक खाता जानकारी के साथ बिल सर्विस पूरी होने/डिलीवरी के 5 दिनों के अंदर जमा करना होगा। बिल की रकम से इनकम टैक्स (TDS), GST-TDS और अगर कोई दूसरी चीज़ें हैं, तो कानून के मुताबिक कटौती की जाएगी। (कृपया ध्यान दें कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को GSTIN: 32AAIFR5286M1ZP वाला B2B इनवॉइस जारी करें)।
20. ठेकेदार को बैंक की स्थान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यावत सूची देनी होगी।
21. इस संविदा के कई हिस्सों को ठेकेदार ने पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है।

अगर ठेकेदार एक साझेदारी फ़र्म या एक व्यक्ति हो

इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर किए और इसकी दो प्रतियाँ उक्त दिन और वर्ष को तैयार की गईं।

अगर ठेकेदार कोई कंपनी है

इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के माध्यम से निष्पादित किए और संविदाकार ने इसकी दोनों प्रतियों पर अपनी सामान्य मुहर लगाई इसकी दो प्रतियों पर उसकी ओर से इन्हें उक्त दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया।

हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

श्री

(नाम और पदनाम)

.....

इनकी उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

.....

.....

.....

साक्षी

हस्ताक्षर	और	वितरित	यदि पार्टी भागीदारी फर्म या वैयक्तिक फर्म हो तो सभी अथवा सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
-----------	----	--------	--

.....

1).....

पता

.....

2)

पता

.....

अगर ठेकेदार अपनी कॉमन सील के तहत साइन करता है, तो हस्ताक्षर खंड आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन्स में उनके सीलिंग धारा से मैच करना चाहिए।

साक्षी

निम्नलिखित की उपस्थिति में दिनांक -----

को संपन्न निदेशक बोर्ड की बैठक में पारित

संकल्प के अनुसरण में इस पर -----

की कॉमन मुहर लगाई गई है।

.....

.....

चाहे ठेकेदार कंपनी हो या व्यक्ति, वह मुख्तारनामा पर हाथ से साइन करता है।

.....

की उपस्थिति में

चाहे ठेकेदार कंपनी हो या व्यक्ति, वह मुख्तारनामा पर हाथ से साइन करता है।

(1)

.....

(2)

.....

निदेशक, जिन्होंने निम्नलिखित की मौजूदगी में इसके प्रमाणस्वरूप इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(1)

(2)

ठेकेदार श्री

द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत गठित अटॉनी के माध्यम से सुपुर्द

खंड XI
निषेध के संबंध में वचन

(निविदा को अपने पत्रशीर्ष पर जमा करना होगा)

कार्य का नाम:

.....

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि

क) मैं/हम या हमारी कोई भी सहयोगी फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था/इकाई द्वारा दिनांक (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) को प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाली गई है।

ख) मैंने/हमने या हमारी किसी संबद्ध फर्म* ने पिछले तीन वर्षों में (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

ग) अगर मुझे/हमें या हमारी किसी जुड़ी हुई फर्म* को भारत या किसी दूसरे देश में किसी सार्वजनिक इंस्टीट्यूशन द्वारा बताए गए काम के लिए काम मिलने पर या उससे पहले डिबार/सस्पेंड/ब्लैक सूचीकर दिया जाता है, तो हम बैंक को लिखकर बताएंगे।

2. मैं/हम, (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हूँ/करते हूँ/हैं कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म * (संबद्ध फर्म(फर्मों का नाम) को (भारत अथवा किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाल दिया गया है और यह (तारीख) तक प्रभावी है।

आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए इस पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू न हो उसे काट दें)

*एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" कहा जाएगा अगर मैनेजमेंट कॉमन हो, या बैन/सस्पेंडेड फर्म के पास काफी या मेजोरिटी शेयर हों और इस वजह से उसका कंट्रोलिंग वॉइस हो। इसके अलावा, सभी सक्ससर फर्मों को भी एलाइड फर्म माना जाएगा।

खंड XII

बिना मूल्यांकित मात्रा का बिल

एसआई नं.	विवरण	5 फ्लैट्स के लिए मात्रा	इकाई
1	लाइट, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, कॉल बेल पॉइंट के लिए 3 X 1.5 sq. mm 1100 वोल्ट ग्रेड इंसुलेशन मल्टी-स्ट्रैंडेड कॉपर कंडक्टर PVC FRLS इंसुलेटेड तार का उपयोग करके वायरिंग की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, उपयुक्त व्यास में। ISI मार्क मीडियम ड्यूटी PVC कंडिट/ केसिंग कैपिंग (यदि मांगा जाए) आवश्यक एक्सेसरीज जैसे बेंड, टीज़, जंक्शन बॉक्स आदि के साथ, आंशिक रूप से छुपा/आंशिक रूप से सतही तरीके से (जैसा भी मामला हो) और इसे उपयुक्त मोटाई के सीमेंट प्लास्टर 1:3 से अच्छा बनाना, आस-पास के क्षेत्र के साथ विलय करना। सतह को एक चिकनी और विलय वाली सतह प्राप्त करने के लिए कुशल व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाएगा। जहां तक संभव हो मौजूदा छुपा कंडिट का उपयोग किया जा सकता है। दर में एक अगर कहा जाए, तो मेटल बॉक्स के बजाय PVC बॉक्स सरफेस तरीके से दिया जा सकता है। रेट में DB से स्विच बोर्ड तक 2 X 2.5 sq. mm + 1x1.5 sq. mm कॉपर कंडक्टर PVC FRLS इंसुलेटेड वायर के साथ सर्किट वायरिंग का खर्च शामिल होगा। फाइनल कनेक्शन भी फ्लेक्सिबल वायर (सही रेटिंग के) वगैरह से किए जाएंगे। हर सर्किट पर लोड 800Watts से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पावर सर्किट पर लोड 3000Watts से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नोट: पाइप वगैरह को छिपाने के लिए वॉल चेजिंग/कटिंग सिर्फ कटिंग मशीन का इस्तेमाल करके की जाएगी।		
1.1	आइटम नंबर 1 के अनुसार एक लाइट/एग्जॉस्ट फैन/सीलिंग फैन पॉइंट के लिए वायरिंग, जिसे एक 6A, मॉड्यूलर टाइप स्विच से कंट्रोल किया जाता है, जैसा बताया गया है वैसा ही पूरा किया गया है। हर फ्लैट पर 20 पॉइंट।	100	संख्या
1.2	वायरिंग आइटम नंबर 1 के अनुसार है, लेकिन कॉलिंग बेल पॉइंट के लिए स्वीकृत मेक बेल (डिंग डोंग टाइप), मॉड्यूलर टाइप बेल स्विच वगैरह के साथ पूरी है। हर फ्लैट में 1 पॉइंट है।	5	संख्या
1.3	वायरिंग आइटम नंबर 1 के अनुसार है लेकिन 6 amp इंडिपेंडेंट स्विच सर्किट पॉइंट के लिए पूरा मॉड्यूलर स्विच, 2/3 पिन सॉकेट वगैरह। हर फ्लैट पर 12 पॉइंट।	60	संख्या

1.4	वायरिंग आइटम नंबर 1 के अनुसार है, लेकिन मौजूदा स्विच बोर्ड पर 6A 2/3 पिन स्विच सॉकेट के लिए मॉड्यूलर प्लेट, स्विच और सॉकेट (हाफ पॉइंट) के साथ। हर फ्लैट पर 12 पॉइंट।	60	संख्या
1.5	आइटम नंबर 1 के अनुसार वायरिंग 16 A मॉड्यूलर टाइप सॉकेट (AC पॉइंट) के लिए, जिसे बताए गए तरीके से इंस्टॉल किया जाना है, लेकिन 2 X 2.5 sq. mm + 1x1.5sqmm कॉपर कंडक्टर के साथ, PVC इंसुलेटेड FRLS मल्टी स्ट्रैंड वायर जो एक स्विच बॉक्स पर 16 A मॉड्यूलर स्विच (इंडिकेटर स्विच) से कंट्रोल होता है (सीधे DB से), हर फ्लैट पर 3 पॉइंट।	15	संख्या
1.6	आइटम नंबर 1 के अनुसार वायरिंग, 16 A मॉड्यूलर टाइप सॉकेट (गीज़र पॉइंट) के लिए, जिसे बताए गए तरीके से लगाया जाना है, लेकिन 2X 4 sq. mm + 1x1.5sqmm कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLS मल्टी स्ट्रैंड वायर के साथ, जिसे स्विच बॉक्स पर 16 A मॉड्यूलर स्विच (इंडिकेटर स्विच) से कंट्रोल किया जाता है (सीधे DB से)। प्रति फ्लैट 1 अंक	5	संख्या
1.7	आइटम नंबर 1 के अनुसार 16 A मॉड्यूलर टाइप सॉकेट (पावर पॉइंट) के लिए वायरिंग, जिसे बताए गए तरीके से इंस्टॉल किया जाना है, लेकिन 2 X 2.5 sq mm 1x1.5sqmm कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLS मल्टी स्ट्रैंड वायर के साथ, जिसे स्विच बॉक्स पर 16 A मॉड्यूलर स्विच से कंट्रोल किया जाता है। (प्राइमरी पॉइंट सीधे DB से) हर फ्लैट पर 2 पॉइंट।	10	संख्या
1.8	आइटम नंबर 1 के अनुसार वायरिंग, 16 A मॉड्यूलर टाइप सॉकेट (पावर पॉइंट) के लिए, जिसे बताए गए तरीके से इंस्टॉल किया जाना है, लेकिन 2 X 2.5 sq. mm. + 1x1.5sqmm कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLS मल्टी स्ट्रैंड वायर के साथ, जिसे स्विच बॉक्स पर 16 A मॉड्यूलर स्विच से कंट्रोल किया जाता है। (प्राइमरी पॉइंट से) प्रति फ्लैट 1 अंक	5	संख्या
1.9	सीलिंग फैन के लिए 100 वॉट के 2 मॉड्यूल स्टेप टाइप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलर की सप्लाय और फिक्सिंग, स्विच बोर्ड पर 3 नंबर प्रति फ्लैट	15	संख्या
2	हॉल और बेडरूम के लिए अलग से टीवी केबल पॉइंट सप्लाय और देना, सही साइज़ के ISI मार्क वाले मज़बूत PVC पाइप के साथ जो बाहरी दीवार तक बढ़ा हो, जिसमें बेंड, टीज़, जंक्शन बॉक्स वगैरह जैसे ज़रूरी सामान हों। इसे दीवार को छिपाकर और रेत, सीमेंट प्लास्टर से ठीक करके, रेत में दीवार में छिपे 2M GI बॉक्स पर मॉड्यूलर टाइप 2Module प्लेट और ब्लैकिंग प्लेट देना और केबल खींचने के लिए पाइप में GI वायर लगाना (अंदर के कमरे से उसी कमरे में पीछे की तरफ बाहर से) हर फ्लैट के लिए 3 नंबर।	15	संख्या
3	हॉल में अलग से 2 जोड़ी 0.5mm टेलीफोन केबल के साथ टेलीफोन पॉइंट सप्लाय और देना। सही साइज़ का ISI मार्क वाला रिजिड PVC कंड्यूट, जो बाहरी दीवार तक फैला हो, जिसमें बेंड, टीज़, जंक्शन बॉक्स वगैरह जैसी ज़रूरी एक्सेसरीज़ हों। दीवार को रेत, सीमेंट प्लास्टर से छिपाकर और उसे ठीक करके। रेत में दीवार में छिपाकर 2M GI बॉक्स पर लगा मॉड्यूलर टाइप का टेलीफोन सॉकेट देना और मौजूदा इंटरकॉम लाइन और डमी प्लेट को खत्म करना शामिल होगा। हर फ्लैट के लिए 1 नंबर।	5	संख्या

4	वायरिंग नंबर 3 (ऊपर) जैसी ही है, लेकिन ऊपर वाले टेलीफोन पॉइंट से दोनों बेडरूम तक लूपिंग है (पैरेलल कनेक्शन)। हर फ्लैट में 2 वायरिंग हैं।	10	संख्या
5	16 वे सिंगल फेज़ MCB DB डबल डोर फैक्ट्री फैब्रिकेटेड, IP 43 प्रोटेक्शन की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें लूप कनेक्शन, अर्थिंग वगैरह के साथ कंसील्ड/पार्शियली कंसील्ड तरीके से पूरा किया गया है। साथ ही मौजूदा कंपोनेंट्स की री-फिक्सिंग, इंटरकनेक्शन और री-कमीशनिंग - DP RCCB 40 A, 30 mA-1 नंबर, SP MCB 32/20/16/10/6 A-6 नंबर। काफी डमी प्लेट्स दी जानी हैं। हर फ्लैट के लिए 1 नंबर।	5	संख्या
5.1	1no प्रति फ्लैट की सप्लाई, फिक्सिंग, इंटरकनेक्शन और कमीशनिंग	5	संख्या
5.2	मौजूदा MCB DB में SP MCB 6/10/16A की सप्लाई, फिक्सिंग, इंटरकनेक्शन और कमीशनिंग, जैसा कि निर्देश है, हर फ्लैट में 8 नंबर।	40	संख्या
6	नीचे दी गई लाइट फिटिंग / सीलिंग फैन / एग्जॉस्ट फैन की सप्लाई, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग और कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी सभी हार्डवेयर सामग्री के साथ।	0	संख्या
6.1	24W LED ट्यूब लाइट फिटिंग 4 फीट। हर फ्लैट में 4 नंबर	20	संख्या
6.2	10W LED 2 फीट मिरर फिटिंग 2 नग प्रति फ्लैट	10	संख्या
6.3	12W LED बल्ब (B-22 होल्डर) स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़रूरी PVC मॉड्यूलर टाइप एंगल धारक के साथ, हर फ्लैट में 3 बल्ब	15	संख्या
6.4	12W LED सीलिंग फिटिंग (सरफेस टाइप) हर फ्लैट में 2	10	संख्या
6.5	वॉल ब्रेकेट लाइट फिटिंग 12W LED बल्ब के साथ 3 नंबर प्रति फ्लैट	15	संख्या
6.6	बाथरूम/टॉयलेट में 200 mm प्लास्टिक बॉडी वाले BLDC एग्जॉस्ट फैन की सप्लाई, असेंबली, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, खिड़की के एल्यूमीनियम / लकड़ी के फ्रेम के साथ, स्कू वगैरह जैसे ज़रूरी हार्डवेयर के साथ, खिड़की में छोटे-मोटे बदलाव के साथ, हर फ्लैट में 3।	15	संख्या
6.7	1200mm BLDC सीलिंग फैन (बेहतर होगा कि रेगुलर से चले) हर फ्लैट में 3	15	संख्या
6.8	400mm BLDC वॉल फैन 1 नग प्रति फ्लैट	5	संख्या
7	आर्मर्ड कॉपर केबल के 3 कोर 6 Sqmm XLPE इंसुलेटेड FRLS आउटर शीथेड पावर केबल की सप्लाई, बिछाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें 12 गेज कॉपर के 2 रन शामिल हैं, जिसमें स्टैंडर्ड और बताए गए अनुसार ब्रास कम्प्रेसन ग्लैंड और सही लग्स के साथ और टर्मिनेशन शामिल हैं। केबल को थोड़ा छिपाकर / सतह पर बिछाया जाएगा (मेज़रमेंट के लिए केबल की लंबाई पर विचार किया जाएगा)	75	मीटर
8	पैनल/वायरिंग/DBs/एनक्लोजर बॉक्स/स्विच बॉक्स/लाइट फिटिंग वगैरह तक मौजूदा केबल हटाने का चार्ज	5	फ्लैट
	कुल (जीएसटी सहित)		
9	पुरानी वायरिंग, कंड्यूट, DB वगैरह वापस खरीदें, इसमें सीलिंग फैन, LED फिटिंग, एग्जॉस्ट फैन, गीजर वगैरह शामिल नहीं हैं।	5	संख्या

आश्वासन प्रमाणपत्र

काम को समझने के लिए निविदा देने वाले के साइट विज़िट के बारे में

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक तिरुवनंतपुरम

महोदय,

कार्य का नाम: आरबीआई स्टाफ कार्टर्स प्लामूडू में 5 फ्लैटों (फ्लैट क्र. A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36) का विद्युत नवीनीकरण

हम, _____ ऊपर दिए गए काम के लिए निविदा देने वाले पुष्टि करते हैं कि हमने साइट देखी है और मौजूदा प्रणाली, अभी क्या काम कर रहा है और प्रस्तावित प्रणाली के काम के दायरे की सही जानकारी समझ ली हैं।

तारीख: (कंपनी का नाम और पता कंपनी की सील के साथ)

संविदा का पालन न करने पर नियोक्ता को हर्जाना देने के लिए प्रोफ़ॉर्मा श्रम नियम/विनियम
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक तिरुवनंतपुरम

महोदय

**कार्य का नाम: आरबीआई स्टाफ़ कार्टर्स प्लामूडू में 5 फ़्लैटों (फ़्लैट क्र. A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36)
का विद्युत नवीनीकरण**

हम, मेसर्स (ठेकेदार का नाम), एतद्वारा वचन देते हैं कि हम ठेका श्रमिकों के रोजगार और उनके भुगतान के संबंध में सभी वैधानिक नियमों/विनियमों का पालन करेंगे।

हम इसके द्वारा एम्प्लॉयर, यानी भारतीय रिज़र्व बैंक को ठेकेदार लेबर को किए जाने वाले भुगतान और इस संबंध में कानूनों के पालन के लिए पूरी तरह से हर्जाना देते हैं और हर्जाना देते रहेंगे, बिना हमारे सब-ठेकेदार से हर्जाना मांगने के हमारे अधिकार पर कोई असर डाले।

आपका विश्वासी,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए

ठेकेदार का नाम और पता:

ठेकेदार का साइन और सील:

तारीख:

स्थान:

विचलन की अनुसूची

हम कन्फर्म करते हैं कि नीचे दिए गए डेविऐशन को छोड़कर बैंक के सभी व्यावसायिक शर्तें और नियम हमें स्वीकार्य हैं।

क्रम संख्या	खंड सं.	धारा सं.	प्रस्तावित विचलन
1			

कंपनी की मुहर और हस्ताक्षर

नाम

पद का नाम

स्थान:

तारीख:



**भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033**

आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स प्लामूडू में 5 फ्लैटों (फ्लैट क्र. A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36) का विद्युत नवीनीकरण

E-tender - No: 2026_आरबीआई_288149_1_प्लामूडू_5फ्लैट्स_ इलेक्ट्रिकल

भाग- II – मूल्य बोली

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____



भारतीय रिज़र्व बैंक/ RESERVE BANK OF INDIA
संपदा विभाग/ ESTATE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम/ THIRUVANANTHAPURAM - 695033

मात्रा का बिल
(GST सहित रेट बताए जाएंगे)

आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स प्लामूडू में 5 फ्लैटों (फ्लैट क्र. A-03, B-12, B-13, C-24 और E-36) का विद्युत नवीनीकरण

एसआई नं.	विवरण	5 फ्लैट्स के लिए मात्रा	इकाई	दर जीएसटी सहित	मात्रा
1	लाइट, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, कॉल बेल पॉइंट के लिए 3 X 1.5 sq. mm 1100 वोल्ट ग्रेड इंसुलेशन मल्टी-स्ट्रैंडेड कॉपर कंडक्टर PVC FRLS इंसुलेटेड तार का उपयोग करके वायरिंग की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, उपयुक्त व्यास में। ISI मार्क मीडियम ड्यूटी PVC कंडिट/ केसिंग कैपिंग (यदि मांगा जाए) आवश्यक एक्सेसरीज जैसे बेंड, टीज़, जंक्शन बॉक्स आदि के साथ, आंशिक रूप से छुपा/आंशिक रूप से सतही तरीके से (जैसा भी मामला हो) और इसे उपयुक्त मोटाई के सीमेंट प्लास्टर 1:3 से अच्छा बनाना, आस-पास के क्षेत्र के साथ विलय करना। सतह को एक चिकनी और विलय वाली सतह प्राप्त करने के लिए कुशल व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाएगा। जहां तक संभव हो मौजूदा छुपा कंडिट का उपयोग किया जा सकता है। दर में एक अगर कहा जाए, तो मेटल बॉक्स के बजाय PVC बॉक्स सरफेस तरीके से दिया जा सकता है। रेट में DB से स्विच बोर्ड तक 2 X 2.5 sq. mm + 1x1.5 sq. mm कॉपर कंडक्टर PVC FRLS इंसुलेटेड वायर के साथ सर्किट वायरिंग का खर्च शामिल होगा। फाइनल कनेक्शन भी फ्लेक्सिबल वायर (सही रेटिंग के) वगैरह से किए जाएंगे। हर सर्किट पर लोड 800Watts से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पावर सर्किट पर लोड 3000Watts से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नोट: पाइप वगैरह को छिपाने के लिए वॉल चेज़िंग/कटिंग सिर्फ कटिंग मशीन का इस्तेमाल करके की जाएगी।				

1.1	आइटम नंबर 1 के अनुसार एक लाइट/एग्जॉस्ट फैन/सीलिंग फैन पॉइंट के लिए वायरिंग, जिसे एक 6A, मॉड्यूलर टाइप स्विच से कंट्रोल किया जाता है, जैसा बताया गया है वैसा ही पूरा किया गया है। हर फ्लैट पर 20 पॉइंट।	100	संख्या		
1.2	वायरिंग आइटम नंबर 1 के अनुसार है, लेकिन कॉलिंग बेल पॉइंट के लिए स्वीकृत मेक बेल (डिंग डोंग टाइप), मॉड्यूलर टाइप बेल स्विच वगैरह के साथ पूरी है। हर फ्लैट में 1 पॉइंट है।	5	संख्या		
1.3	वायरिंग आइटम नंबर 1 के अनुसार है लेकिन 6 amp इंडिपेंडेंट स्विच सॉकेट पॉइंट के लिए पूरा मॉड्यूलर स्विच, 2/3 पिन सॉकेट वगैरह। हर फ्लैट पर 12 पॉइंट।	60	संख्या		
1.4	वायरिंग आइटम नंबर 1 के अनुसार है, लेकिन मौजूदा स्विच बोर्ड पर 6A 2/3 पिन स्विच सॉकेट के लिए मॉड्यूलर प्लेट, स्विच और सॉकेट (हाफ पॉइंट) के साथ। हर फ्लैट पर 12 पॉइंट।	60	संख्या		
1.5	आइटम नंबर 1 के अनुसार वायरिंग 16 A मॉड्यूलर टाइप सॉकेट (AC पॉइंट) के लिए, जिसे बताए गए तरीके से लगाया जाना है, लेकिन 2 X 2.5 sq. mm + 1x1.5sqmm कॉपर कंडक्टर के साथ, PVC इंसुलेटेड FRLS मल्टी स्टैंड वायर जो एक स्विच बॉक्स पर 16 A मॉड्यूलर स्विच (इंडिकेटर स्विच) से कंट्रोल होता है (सीधे DB से), हर फ्लैट पर 3 पॉइंट।	15	संख्या		
1.6	आइटम नंबर 1 के अनुसार वायरिंग, 16 A मॉड्यूलर टाइप सॉकेट (गीज़र पॉइंट) के लिए, जिसे बताए गए तरीके से लगाया जाना है, लेकिन 2X 4 sq. mm + 1x1.5sqmm कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLS मल्टी स्टैंड वायर के साथ, जिसे स्विच बॉक्स पर 16 A मॉड्यूलर स्विच (इंडिकेटर स्विच) से कंट्रोल किया जाता है (सीधे DB से)। प्रति फ्लैट 1 अंक	5	संख्या		
1.7	आइटम नंबर 1 के अनुसार 16 A मॉड्यूलर टाइप सॉकेट (पावर पॉइंट) के लिए वायरिंग, जिसे बताए गए तरीके से इंस्टॉल किया जाना है, लेकिन 2 X 2.5 sq mm 1x1.5sqmm कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLS मल्टी स्टैंड वायर के साथ, जिसे स्विच बॉक्स पर 16 A मॉड्यूलर स्विच से कंट्रोल किया जाता है। (प्राइमरी पॉइंट सीधे DB से) हर फ्लैट पर 2 पॉइंट।	10	संख्या		
1.8	आइटम नंबर 1 के अनुसार वायरिंग, 16 A मॉड्यूलर टाइप सॉकेट (पावर पॉइंट) के लिए, जिसे बताए गए तरीके से इंस्टॉल किया जाना है, लेकिन 2 X 2.5 sq. mm. + 1x1.5sqmm कॉपर कंडक्टर PVC इंसुलेटेड FRLS मल्टी स्टैंड वायर के साथ, जिसे स्विच बॉक्स पर 16 A मॉड्यूलर स्विच से कंट्रोल किया जाता है। (प्राइमरी पॉइंट से) प्रति फ्लैट 1 अंक	5	संख्या		
1.9	सीलिंग फैन के लिए 100 वॉट के 2 मॉड्यूलर स्टेप टाइप इलेक्ट्रॉनिक रेगुपत्र की सप्लाई और फिक्सिंग, स्विच बोर्ड पर 3 नंबर प्रति फ्लैट	15	संख्या		
2	हॉल और बेडरूम के लिए अलग से टीवी केबल पॉइंट सप्लाई और देना, सही साइज़ के ISI मार्क वाले मज़बूत PVC पाइप के साथ जो बाहरी दीवार तक बढ़ा हो, जिसमें बेंड, टीज़, जंक्शन बॉक्स वगैरह जैसे ज़रूरी सामान हों। इसे दीवार को छिपाकर और रेत, सीमेंट प्लास्टर से ठीक करके, रेत में दीवार में छिपे 2M GI बॉक्स पर मॉड्यूलर टाइप 2Module प्लेट और ब्लैकिंग प्लेट देना और केबल खींचने के लिए पाइप में GI वायर लगाना (अंदर के कमरे से उसी कमरे में पीछे की तरफ बाहर से) हर फ्लैट के लिए 3 नंबर।	15	संख्या		

3	हॉल में अलग से 2 जोड़ी 0.5mm टेलीफोन केबल के साथ टेलीफोन पॉइंट सप्लाई और देना। सही साइज़ का ISI मार्क वाला रिजिड PVC कंड्यूट, जो बाहरी दीवार तक फैला हो, जिसमें बेंड, टीज़, जंक्शन बॉक्स वगैरह जैसी ज़रूरी एक्सेसरीज़ हों। दीवार को रेत, सीमेंट प्लास्टर से छिपाकर और उसे ठीक करके। रेत में दीवार में छिपाकर 2M GI बॉक्स पर लगा मॉड्यूलर टाइप का टेलीफोन सॉकेट देना और मौजूदा इंटरकॉम लाइन और डमी प्लेट को खत्म करना शामिल होगा। हर फ्लैट के लिए 1 नंबर।	5	संख्या		
4	वायरिंग नंबर 3 (ऊपर) जैसी ही है, लेकिन ऊपर वाले टेलीफोन पॉइंट से दोनों बेडरूम तक लूपिंग है (पैरेलल कनेक्शन)। हर फ्लैट में 2 वायरिंग हैं।	10	संख्या		
5	16 वे सिंगल फेज़ MCB DB डबल डोर फैक्ट्री फैब्रिकेटेड, IP 43 प्रोटेक्शन की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें लूप कनेक्शन, अर्थिंग वगैरह के साथ कंसील्ट/पार्शियली कंसील्ट तरीके से पूरा किया गया है। साथ ही मौजूदा कंपोनेंट्स की री-फिक्सिंग, इंटरकनेक्शन और री-कमीशनिंग - DP RCCB 40 A, 30 mA-1 नंबर, SP MCB 32/20/16/10/6 A-6 नंबर। काफी डमी प्लेट्स दी जानी हैं। हर फ्लैट के लिए 1 नंबर।	5	संख्या		
5.1	1no प्रति फ्लैट की सप्लाई, फिक्सिंग, इंटरकनेक्शन और कमीशनिंग	5	संख्या		
5.2	मौजूदा MCB DB में SP MCB 6/10/16A की सप्लाई, फिक्सिंग, इंटरकनेक्शन और कमीशनिंग, जैसा कि निर्देश है, हर फ्लैट में 8 नंबर।	40	संख्या		
6	नीचे दी गई लाइट फिटिंग / सीलिंग फैन / एग्जॉस्ट फैन की सप्लाई, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग और कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी सभी हार्डवेयर सामग्री के साथ।	0	संख्या		
6.1	24W LED ट्यूब लाइट फिटिंग 4 फीट। हर फ्लैट में 4 नंबर	20	संख्या		
6.2	10W LED 2 फीट मिरर फिटिंग 2 नग प्रति फ्लैट	10	संख्या		
6.3	12W LED बल्ब (B-22 होल्डर) स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़रूरी PVC मॉड्यूलर टाइप एंगल धारक के साथ, हर फ्लैट में 3 बल्ब	15	संख्या		
6.4	12W LED सीलिंग फिटिंग (सरफेस टाइप) हर फ्लैट में 2	10	संख्या		
6.5	वॉल ब्रेकेट लाइट फिटिंग 12W LED बल्ब के साथ 3 नंबर प्रति फ्लैट	15	संख्या		
6.6	बाथरूम/टॉयलेट में 200 mm प्लास्टिक बॉडी वाले BLDC एग्जॉस्ट फैन की सप्लाई, असेंबली, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, खिड़की के एल्यूमीनियम /लकड़ी के फ्रेम के साथ, स्कू वगैरह जैसे ज़रूरी हार्डवेयर के साथ, खिड़की में छोटे-मोटे बदलाव के साथ, हर फ्लैट में 3।	15	संख्या		
6.7	1200mm BLDC सीलिंग फैन (बेहतर होगा कि रेगुपत्र से चले) हर फ्लैट में 3	15	संख्या		
6.8	400mm BLDC वॉल फैन 1 नग प्रति फ्लैट	5	संख्या		

7	आर्मर्ड कॉपर केबल के 3 कोर 6 Sqmm XLPE इंसुलेटेड FRLS आउटर शीथेड पावर केबल की सप्लाई, बिछाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें 12 गेज कॉपर के 2 रन शामिल हैं, जिसमें स्टैंडर्ड और बताए गए अनुसार ब्रास कम्प्रेसन ग्लैंड और सही लग्स के साथ औरटर्मिनेशन शामिल हैं। केबल को थोड़ा छिपाकर / सतह पर बिछाया जाएगा (मेज़रमेंट के लिए केबल की लंबाई पर विचार किया जाएगा)	75	मीटर		
8	पैनल/वायरिंग/DBs/एनक्लोजर बॉक्स/स्विच बॉक्स/लाइट फिटिंग वगैरह तक मौजूदा केबल हटाने का चार्ज	5	फ्लैट		
कुल (जीएसटी सहित)		0			0.00
9	पुरानी वायरिंग, कंड्यूट, DB वगैरह वापस खरीदें, इसमें सीलिंग फैन, LED फिटिंग, एग्जॉस्ट फैन, गीजर वगैरह शामिल नहीं हैं।	5	संख्या		

नोट 1:- ऊपर दिया गया फॉर्मेट सिर्फ उदाहरण के लिए दिया गया है। निविदा देने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कोट किए गए रेट सिर्फ CPP पोर्टल पर मौजूद फॉर्मेट में ही भरें। भाग-1 दस्तावेज़ के साथ कीमतों की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। वित्तीय बोली को भौतिक/हार्ड फॉर्म में जमा करना और उसे भाग-1 दस्तावेज़ के साथ पोर्टल पर अपलोड करना, अपात्र किया जा सकता है।

नोट 2:- ऑनलाइन मूल्य बोली में, शब्दों की सीमा 1000 कैरेक्टर होने की वजह से पूरी जानकारी नहीं दी जा सकती, और दी गई जानकारी छोटी है। ऑनलाइन दरें बताने से पहले, सभी ठेकेदार को निविदा दस्तावेज़ के भाग-1 में दिए गए बिना मूल्यांकित मात्रा का बिल (BOQ) में हर आइटम की पूरी जानकारी पढ़नी होगी। कार्यान्वयन और दरों के मकसद से, निविदा दस्तावेज़ के भाग-1 में बिना मूल्यांकित मात्रा का बिल में दी गई जानकारी को लागू किया जाएगा।